



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2023-2024 के
आय-व्ययक में
सम्मिलित
व्यय की नई मांग

फरवरी, 2023

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2023-2024 के
आय-व्ययक में
सम्मिलित
व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

| | (₹ लाख में) |
|----------------|-------------------|
| क- राजस्व लेखा | 1286679.51 |
| ख- पूंजी लेखा | 1985516.55 |
| कुल योग : | <u>3272196.06</u> |

| अनुदान/क्रम संख्या | विभाग का नाम | (₹ लाख में) | | | | योग |
|-----------------------|--|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----|
| | | राजस्व लेखे का व्यय | पूँजी लेखे का व्यय | | ऋण | |
| | | | पूँजीगत | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 002 | आवास विभाग | ... | 75010.00 | ... | 75010.00 | |
| 003 | उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) | 11100.00 | 23035.00 | ... | 34135.00 | |
| 006 | उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) | 17000.00 | 1500.00 | ... | 18500.00 | |
| 007 | उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) | 166763.00 | 26000.00 | ... | 192763.00 | |
| 009 | ऊर्जा विभाग | 800000.00 | 65826.00 | 102000.00 | 967826.00 | |
| 010 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) | 10300.00 | 1700.00 | ... | 12000.00 | |
| 011 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) | 8810.75 | 10684.64 | ... | 19495.39 | |
| 012 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) | 12469.00 | ... | ... | 12469.00 | |
| 013 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) | ... | 200.00 | ... | 200.00 | |
| 014 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) | 300.00 | ... | ... | 300.00 | |
| 015 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) | 6042.36 | 823.85 | ... | 6866.21 | |
| 016 | कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) | 8471.08 | 150.00 | ... | 8621.08 | |
| 020 | कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) | ... | 600.00 | ... | 600.00 | |
| 021 | खाद्य तथा रसद विभाग | 70.00 | ... | ... | 70.00 | |
| 022 | खेल विभाग | 2650.00 | 16671.98 | ... | 19321.98 | |
| 024 | गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) | ... | 3000.00 | 144450.00 | 147450.00 | |
| 026 | गृह विभाग (पुलिस) | 1088.00 | 47691.26 | ... | 48779.26 | |
| 028 | गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) | 5.00 | 630.06 | ... | 635.06 | |
| 031 | चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) | 3200.13 | 2600.04 | ... | 5800.17 | |
| 035 | चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) | 420.00 | 3220.17 | ... | 3640.17 | |
| 037 | नगर विकास विभाग | 16500.00 | ... | ... | 16500.00 | |
| 040 | नियोजन विभाग | 660.63 | 221516.88 | ... | 222177.51 | |
| 043 | परिवहन विभाग | ... | 50000.00 | ... | 50000.00 | |
| 044 | पर्यटन विभाग | 1200.00 | 18000.00 | ... | 19200.00 | |
| 047 | प्राविधिक शिक्षा विभाग | 600.00 | 700.00 | ... | 1300.00 | |
| 049 | महिला एवं बाल कल्याण विभाग | 32098.21 | 500.00 | ... | 32598.21 | |
| 051 | राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) | 34889.00 | ... | ... | 34889.00 | |

| अनुदान/क्रम संख्या | विभाग का नाम | (₹ लाख में) | | | |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------|-----------|------------|
| | | राजस्व लेखे का व्यय | पूँजी लेखे का व्यय | | योग |
| | | | पूँजीगत | ऋण | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 052 | राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) | 1.00 | 206.15 | ... | 207.15 |
| 055 | लोक निर्माण विभाग (भवन) | ... | 5301.00 | ... | 5301.00 |
| 057 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) | ... | 176821.00 | ... | 176821.00 |
| 058 | लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) | 3000.00 | 392500.00 | ... | 395500.00 |
| 059 | लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) | ... | 6541.50 | ... | 6541.50 |
| 060 | वन विभाग | ... | 600.00 | ... | 600.00 |
| 061 | वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) | 245.00 | ... | ... | 245.00 |
| 063 | वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) | 2500.00 | ... | ... | 2500.00 |
| 065 | वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) | 100.00 | 14.00 | ... | 114.00 |
| 068 | विधान सभा सचिवालय | 35.00 | 751.43 | ... | 786.43 |
| 070 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 37176.00 | 2600.00 | ... | 39776.00 |
| 071 | शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) | 28300.00 | 35900.00 | ... | 64200.00 |
| 072 | शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) | 27800.00 | 36000.00 | ... | 63800.00 |
| 073 | शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) | 10400.00 | 45501.00 | ... | 55901.00 |
| 074 | गृह विभाग (होमगार्ड्स) | ... | 3000.00 | ... | 3000.00 |
| 075 | शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) | ... | 1385.57 | ... | 1385.57 |
| 076 | श्रम विभाग (श्रम कल्याण) | 144.25 | 4999.31 | ... | 5143.56 |
| 077 | श्रम विभाग (सेवायोजन) | 200.00 | 197.26 | ... | 397.26 |
| 078 | सचिवालय प्रशासन विभाग | 17200.00 | ... | ... | 17200.00 |
| 079 | समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) | 325.00 | 500.00 | ... | 825.00 |
| 081 | समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) | 3314.51 | 23820.24 | ... | 27134.75 |
| 083 | समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) | 18665.00 | 170694.59 | ... | 189359.59 |
| 086 | सूचना विभाग | ... | 1500.00 | ... | 1500.00 |
| 092 | संस्कृति विभाग | 2045.16 | 2100.00 | ... | 4145.16 |
| 093 | नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग | 150.00 | 700.00 | ... | 850.00 |
| 094 | सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) | 441.43 | 257373.62 | ... | 257815.05 |
| कुलयोग | | 1286679.51 | 1739066.55 | 246450.00 | 3272196.06 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|---|---|--------------------------|
| 002 | 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 1-गोरखपुर नगर स्थित गोडधोइया नाला एवं रामगढ ताल के जीर्णोद्धार तथा इन्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण | 65010.00 |
| | 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 2-प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा रोप-वे सेवा विकसित करने हेतु परियोजना का क्रियान्वयन | 10000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4217 का योग | 75010.00 |
| | | अनुदान संख्या 002 का योग | 75010.00 |
| 003 | 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग | 1-उत्तर प्रदेश सेवा क्षेत्र नीति-2022 का क्रियान्वयन | 100.00 |
| | 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग | 2-उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 का क्रियान्वयन | 10000.00 |
| | 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग | 3-मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना | 1000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2851 का योग | 11100.00 |
| | 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय | 4-जिला उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के कार्यालय भवन का निर्माण | 535.00 |
| | 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय | 5-प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण | 2500.00 |
| | 4851-ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूंजीगत परिव्यय | 6-"यूनिटी मॉल" का निर्माण | 20000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4851 का योग | 23035.00 |
| | | अनुदान संख्या 003 का योग | 34135.00 |
| 006 | 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग | 1-उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी - 2022 | 15000.00 |
| | 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग | 2-पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाईल पार्क की स्थापना | 2000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2851 का योग | 17000.00 |
| | 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 3-टेक्सटाईल पार्कों में सडक, विद्युत लाइन, स्वतन्त्र विद्युत फीडर, ट्रान्सफार्मर / विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था | 1500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4801 का योग | 1500.00 |
| | | अनुदान संख्या 006 का योग | 18500.00 |
| 007 | 2852-उद्योग | 1-उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड / उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड / उत्तर प्रदेश | 87818.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---|------------|---|--------------------------|
| | | स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड / उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान | |
| 2852-उद्योग | | 2-उ.प्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, उ.प्र. स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड तथा उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को बकाया ऋण (मूलधन) तथा कम्पनी को प्रदत्त अंशपूजी के अपलेखन हेतु अनुदान के लिये एकमुश्त व्यवस्था | 50000.00 |
| 2852-उद्योग | | 3-उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की रायबरेली, मऊनाथ भंजन तथा बाराबंकी इकाईयों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को बकाया ऋण तथा कम्पनी को प्रदत्त अंशपूजी के अपलेखन हेतु अनुदान | 28795.00 |
| 2852-उद्योग | | 4-यू.पी.डेस्को के अन्तर्गत पी.एम.यू. का गठन | 150.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2852 का योग | 166763.00 |
| 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | | 5-उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास | 2500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4875 का योग | 2500.00 |
| 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 6-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना | 8500.00 |
| 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 7-झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना | 15000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5054 का योग | 23500.00 |
| | | अनुदान संख्या 007 का योग | 192763.00 |
| 009 | 2801-बिजली | 1-निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ के आधार पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान | 150000.00 |
| | 2801-बिजली | 2-रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु अनुदान | 650000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2801 का योग | 800000.00 |
| 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 3-3x210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2x250 मेगावाट अनपरा 'ब' परियोजना में 30 एम.एल.डी. क्षमता के उत्प्रवाह शोधन संयंत्र के कार्य | 898.00 |
| 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 4-ग्रीन इनर्जी कॉर्रीडोर अन्तर्गत पारेषण के कार्य हेतु देय राज्यांश की धनराशि | 43400.00 |
| 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 5-ग्रीन इनर्जी कॉर्रीडोर- II के पारेषण कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को अंशपूजी | 10000.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|------------------------|--|--|--------------------------|
| | 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 6-पी.एस.डी.एफ. योजनान्तर्गत कैपिसिटर बैंक की स्थापना | 1528.00 |
| | 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 7-हरदुआगंज 2x250 मेगावाट, पारीछा 2x210 मेगावाट एवं पारीछा 2x250 मेगावाट तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना | 10000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4801 का योग | 65826.00 |
| | 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज | 8-ग्रीन इनर्जी कॉर्रीडोर- II के पारेषण कार्यो के लिये के.एफ.डब्ल्यू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को ऋण | 102000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 6801 का योग | 102000.00 |
| | | अनुदान संख्या 009 का योग | 967826.00 |
| 010 | 2401-फसल कृषि कर्म | 1-उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 | 10000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2401 का योग | 10000.00 |
| | 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 2-ऊतक सम्बर्द्धन प्रयोगशाला की स्थापना | 100.00 |
| | 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 3-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2415 का योग | 300.00 |
| | 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | 4-ऊतक सम्बर्द्धन प्रयोगशाला की स्थापना | 900.00 |
| | 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | 5-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर | 800.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4415 का योग | 1700.00 |
| | | अनुदान संख्या 010 का योग | 12000.00 |
| 011 | 2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ | 1- कृषि महाविद्यालय, आजमगढ में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्र कर्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर | 50.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2071 का योग | 50.00 |
| | 2401-फसल कृषि कर्म | 2-उत्तर प्रदेश दलहन बीज मिनी किट वितरण योजना | 1500.00 |
| | 2401-फसल कृषि कर्म | 3-उत्तर प्रदेश मिलेट् स पुनरोद्धार कार्यक्रम | 5560.75 |
| | 2401-फसल कृषि कर्म | 4- कृषकों के डिजिटल डाटा बेस हेतु एग्रीस्टैक योजना | 200.00 |
| | 2401-फसल कृषि कर्म | 5-तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना | 1500.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|--|---|---|--------------------------|
| | | लेखा शीर्ष 2401 का योग | 8760.75 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 6- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर ओवर हेड टैंक का निर्माण | 300.00 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 7- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में टाइप - 3 आवास का निर्माण | 800.00 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 8- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में मार्गों का सुदृढीकरण | 500.00 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 9-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ के अन्तर्गत दांतल प्रक्षेत्र पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण | 500.00 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 10-कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में मार्गों का सुदृढीकरण | 500.00 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 11-कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में विद्युत व्यवस्था में सुधार | 224.70 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 12-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में स्थित टू यंबवेलों / जल संचय के लिये जलाशयों एवं जलमल निस्तारण | 674.33 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 13-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के इटावा प्रांगण पर बालकों के छात्रावासों की तरफ चाहरदीवारी एवं गेट का निर्माण | 185.61 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 14-प्रत्येक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एग्रीटिक स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना | 2000.00 |
| 4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | | 15-महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4415 का योग | 10684.64 |
| | | अनुदान संख्या 011 का योग | 19495.39 |
| 012 | 2705-कमान क्षेत्र विकास | 1-ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना | 12469.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2705 का योग | 12469.00 |
| | | अनुदान संख्या 012 का योग | 12469.00 |
| 013 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1- ग्राम्य विकास मुख्यालय एवं आवासीय भवन के बाउण्ड्रीवाल निर्माण | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 200.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|---------------------------------|---|--------------------------|
| | | अनुदान संख्या 013 का योग | 200.00 |
| 014 | 2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें | 1- युवा केन्द्र, शहरी व्यायामशालाओं एवं विभागीय भवनों का रखरखाव | 100.00 |
| | 2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें | 2-विभिन्न आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2204 का योग | 300.00 |
| | | अनुदान संख्या 014 का योग | 300.00 |
| 015 | 2403-पशु पालन | 1-अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड / सार्टेड सीमिन के उपयोग की योजना | 4473.75 |
| | 2403-पशु पालन | 2- पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढीकरण | 145.50 |
| | 2403-पशु पालन | 3- प्रक्षेत्र एवं डी.एफ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना | 121.00 |
| | 2403-पशु पालन | 4-बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना | 374.81 |
| | 2403-पशु पालन | 5- बायो मेडिकल वेस्ट की निस्तारण योजना | 500.00 |
| | 2403-पशु पालन | 6-भेड़ एवं बकरी प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | 50.64 |
| | 2403-पशु पालन | 7- भेड़ पालकों को नस्ल सुधार के लिये मेढे उपलब्ध कराया जाना | 31.91 |
| | 2403-पशु पालन | 8- भेड़ पालन योजना | 344.75 |
| | | लेखा शीर्ष 2403 का योग | 6042.36 |
| | 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 9-जनपद - चन्दौली के नौगढ़ में वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौड़ा में ट्यूबवेल की स्थापना | 58.85 |
| | 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 10- प्रक्षेत्र एवं डी.एफ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना | 165.00 |
| | 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 11- प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 600.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4403 का योग | 823.85 |
| | | अनुदान संख्या 015 का योग | 6866.21 |
| 016 | 2404-डेरी विकास | 1-उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 | 2500.00 |
| | 2404-डेरी विकास | 2- नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना | 5971.08 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| | | लेखा शीर्ष 2404 का योग | 8471.08 |
| 4404- | डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 3-नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना | 150.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4404 का योग | 150.00 |
| | | अनुदान संख्या 016 का योग | 8621.08 |
| 020 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नये भवन निर्माण के लिये भूमि का क्रय | 100.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज परिसर स्थिति बहुमंजिला प्रशासनिक भवन (11 मंजिला जी प्लस) का नव निर्माण | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 600.00 |
| | | अनुदान संख्या 020 का योग | 600.00 |
| 021 | 2075-विविध सामान्य सेवायें | 1-उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्मिकों द्वारा योजित वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी किया जाना | 70.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2075 का योग | 70.00 |
| | | अनुदान संख्या 021 का योग | 70.00 |
| 022 | 2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें | 1- खेल विकास कोष की स्थापना | 2500.00 |
| | 2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें | 2- स्पोर्ट्स कॉलेज, फतेहपुर को अनुदान | 150.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2204 का योग | 2650.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 3-खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नवनिर्माण | 11671.98 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 4-प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं का निर्माण | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 16671.98 |
| | | अनुदान संख्या 022 का योग | 19321.98 |
| 024 | 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 1-चीनी मिल मोहिउद् दीनपुर, जिला-मेरठ में आसवनी की स्थापना | 3000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4860 का योग | 3000.00 |
| | 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | 2-आर्थिक रूप से जर्जर सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मकारों के बकाए का भुगतान | 2000.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 3-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण | 90000.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 4-किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर, जिला-सुल्तानपुर | 2000.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 5-किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथा, जिला-अलीगढ़ | 2000.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 6-किसान सहकारी मिल लिमिटेड, सेमीखेड़ा, जिला-बरेली एवं पूरनपुर, जिला-पीलीभीत | 3500.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 7-चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना | 5000.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 8-चीनी मिल बुढवल, जिला-बाराबंकी में 5000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल, रिफाइन्ड शुगर, को-जन प्लान्ट एवं डिस्टिलरी की स्थापना | 8500.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 9-छाता, जिला-मथुरा की बन्द चीनी मिल में 2500 टी.सी.डी. (3500 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) की नई चीनी मिल को-जन प्लान्ट एवं डिस्टिलरी की स्थापना | 8500.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 10-रूद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, जिला-रामपुर | 3000.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 11-सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला अमरोहा की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना | 8500.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 12-सहकारी चीनी मिल, सेहरोड, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना | 8500.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 13-सहकारी चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव के लिये ऋण | 2500.00 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | | 14-सहकारी चीनी मिलों में अल्मोनियम क्लेडिंग (लैगिंग) कार्य | 450.00 |
| लेखा शीर्ष 6860 का योग | | | 144450.00 |
| अनुदान संख्या 024 का योग | | | 147450.00 |
| 026 | 2055-पुलिस | 1-उ.प्र. फारेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट | 100.00 |
| | 2055-पुलिस | 2-एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स | 988.00 |
| लेखा शीर्ष 2055 का योग | | | 1088.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 3-अभिसूचना मुख्यालय के लिये वाहनों का क्रय | 500.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 4-उ.प्र. फारेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट | 500.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|---|---|--------------------------|
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 5-एस.टी.एफ. के लिये वाहनों का क्रय | 153.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 6-कानून व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु वाहनों का क्रय | 2500.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 7-जनपदीय पुलिस (सी.ओ. सर्किल स्तर) के लिये वाहनों का क्रय | 1000.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 8-पी.ए.सी. के लिये वाहनों का क्रय | 500.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 9-पी.ए.सी. के लिये वाहनों का क्रय | 1000.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 10-मुख्यमंत्री, लोक भवन, विधान सभा एवं सचिवालय के सुरक्षार्थ वाहनों का क्रय | 140.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 11-शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण | 40000.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 12-साईबर क्राइम के नियंत्रण हेतु वाहनों का क्रय | 100.00 |
| | 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 13-स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (स्पॉट) के लिये वाहनों का क्रय | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4055 का योग | 46593.00 |
| | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 14-भ्रष्टाचार निवारण संगठन | 50.00 |
| | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 15-विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) | 48.26 |
| | | लेखा शीर्ष 4070 का योग | 98.26 |
| | 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 16-एस.डी.आर.एफ. के लिये वाहनों का क्रय | 1000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4250 का योग | 1000.00 |
| | | अनुदान संख्या 026 का योग | 48779.26 |
| 028 | 2014-न्याय प्रशासन | 1-अभियोजन विभाग हेतु गुप्त सेवा व्यय | 5.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2014 का योग | 5.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2-जनपद - श्रावस्ती अभियोजन कार्यालय का भवन नवनिर्माण एवं जनपद - बस्ती व प्रतापगढ कार्यालय का पुनर्निर्माण | 630.06 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 630.06 |
| | | अनुदान संख्या 028 का योग | 635.06 |
| 031 | 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 1-उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट | 2000.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| | 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 2-नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों का संचालन | 0.11 |
| | 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 3-राजकीय मेडिकल कालेज / स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना | 0.02 |
| | 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 4-हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड एवं इनवेस्टिगेशन रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना | 1200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2210 का योग | 3200.13 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 5-नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों का संचालन | 0.02 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 6-नर्सिंग कालेजों की स्थापना | 2600.00 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 7-राजकीय मेडिकल कालेज / स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना | 0.02 |
| | | लेखा शीर्ष 4210 का योग | 2600.04 |
| | | अनुदान संख्या 031 का योग | 5800.17 |
| 035 | 2211-परिवार कल्याण | 1-परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना | 420.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2211 का योग | 420.00 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2-ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र का पुनर्निर्माण | 3220.17 |
| | | लेखा शीर्ष 4210 का योग | 3220.17 |
| | | अनुदान संख्या 035 का योग | 3640.17 |
| 037 | 2217-शहरी विकास | 1-आकांक्षी नगर योजना | 10000.00 |
| | 2217-शहरी विकास | 2-नगर पालिका परिषद् , मऊ के अन्तर्गत शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण | 1500.00 |
| | 2217-शहरी विकास | 3-प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के लिये अनुदान | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2217 का योग | 16500.00 |
| | | अनुदान संख्या 037 का योग | 16500.00 |
| 040 | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें | 1-फेमिली आई.डी. - "एक परिवार एक पहचान" | 220.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2070 का योग | 220.00 |
| | 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें | 2-ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये | 344.38 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|--|------------|---|--------------------------|
| | | तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल | |
| | | लेखा शीर्ष 3451 का योग | 344.38 |
| 3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | | 3-राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण | 96.25 |
| | | लेखा शीर्ष 3454 का योग | 96.25 |
| 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | | 4-ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल | 1000.00 |
| 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | | 5-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 6000.00 |
| 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | | 6-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 30.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 30.00 |
| 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | | 7-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 20.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4210 का योग | 20.00 |
| 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | | 8-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 21000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4215 का योग | 21000.00 |
| 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 9-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 10.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4250 का योग | 10.00 |
| 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | | 10-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 10.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4406 का योग | 10.00 |
| 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | | 11-क्रिटिकल गैप योजनान्तर्गत आकांक्षात्मक ब्लाकों को प्रोत्साहन | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4515 का योग | 500.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|------------------------|--|--|--------------------------|
| | 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय | 12-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें | 40000.00 |
| | 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय | 13-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें | 30000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4575 का योग | 70000.00 |
| | 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 14-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 10.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4702 का योग | 10.00 |
| | 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 15-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 10020.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4801 का योग | 10020.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 16-त्वरित आर्थिक विकास योजना | 113900.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5054 का योग | 113900.00 |
| | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 17-अर्थ एवं संख्या प्रभाग में वाहनों का क्रय | 16.88 |
| | | लेखा शीर्ष 5475 का योग | 16.88 |
| | | अनुदान संख्या 040 का योग | 222177.51 |
| 043 | 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | 1-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस फ्लीट हेतु 1,000 बसों का क्रय | 40000.00 |
| | 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | 2-बस स्टेशनों का निर्माण, बस स्टेशनों का उच्चिकरण / आधुनिकीकरण, डिपो कार्यशालाओं का उच्चिकरण / आधुनिकीकरण के लिये उ.प्र.रा.स.प.नि. में अंशपूंजी विनियोजन | 10000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5055 का योग | 50000.00 |
| | | अनुदान संख्या 043 का योग | 50000.00 |
| 044 | 3452-पर्यटन | 1-अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट्स का आयोजन | 500.00 |
| | 3452-पर्यटन | 2-उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् | 250.00 |
| | 3452-पर्यटन | 3-उ.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ | 250.00 |
| | 3452-पर्यटन | 4-युवा पर्यटन क्लब की स्थापना | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 3452 का योग | 1200.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|---|--------------------------|
| | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 5-प्रयागराज का समेकित विकास | 4000.00 |
| | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 6-बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास | 4000.00 |
| | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 7-बौद्ध परिपथ का समेकित पर्यटन विकास | 4000.00 |
| | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 8-शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर का समेकित पर्यटन विकास | 5000.00 |
| | 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 9-शुक्रतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास | 1000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5452 का योग | 18000.00 |
| | | अनुदान संख्या 044 का योग | 19200.00 |
| 047 | 2203-तकनीकी शिक्षा | 1-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा में कक्षाओं का संचालन | 150.00 |
| | 2203-तकनीकी शिक्षा | 2-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़ में कक्षाओं का संचालन | 150.00 |
| | 2203-तकनीकी शिक्षा | 3-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती में कक्षाओं का संचालन | 150.00 |
| | 2203-तकनीकी शिक्षा | 4-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर में कक्षाओं का संचालन | 150.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2203 का योग | 600.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 5-प्राविधिक विश्वविद्यालयों और अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण | 200.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 6-शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर में नवीन छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष एवं प्रयोगशाला का भवन निर्माण | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 700.00 |
| | | अनुदान संख्या 047 का योग | 1300.00 |
| 049 | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 1-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा | 2500.00 |
| | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 2-उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पुष्पाहार उत्पादन इकाईयों द्वारा टी.एच.आर. (टेक होम राशन) उत्पादन लागत के लिये Gap funding | 29148.00 |
| | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 3-जनपद - गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी एवं कानपुर नगर में 100 की क्षमता के एक-एक राजकीय बाल गृह (बालिका) की स्थापना | 218.97 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|------------------------|---|---|--------------------------|
| | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 4-विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु जनपद - रायबरेली में मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत 100 की क्षमता का एक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की स्थापना | 72.99 |
| | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 5-वृन्दावन, जनपद - मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन का संचालन | 158.25 |
| | | लेखा शीर्ष 2235 का योग | 32098.21 |
| | 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 6-विभागीय संस्थाओं एवं गृहों के लघु निर्माण कार्य | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4235 का योग | 500.00 |
| | | अनुदान संख्या 049 का योग | 32598.21 |
| 051 | 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 1-कोविड - 19 महामारी के दौरान परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आकस्मिक बस सेवा के देयकों की बकाया धनराशि का भुगतान | 34889.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2245 का योग | 34889.00 |
| | | अनुदान संख्या 051 का योग | 34889.00 |
| 052 | 2029-भू-राजस्व | 1-स्वामित्व योजना | 1.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2029 का योग | 1.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2-राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, हरदोई के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना | 206.15 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 206.15 |
| | | अनुदान संख्या 052 का योग | 207.15 |
| 055 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण | 160.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 2-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण | 535.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 3-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग | 50.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 4-कार्यालय भवनों का निर्माण | 320.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 5-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार | 240.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 6-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान | 50.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 7-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / | 2700.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|---|--|--------------------------|
| | | निर्माण / जीर्णोद्धार | |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 8-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य | 320.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 9-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण | 160.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 10-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन | 1.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 11-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना | 140.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 4676.00 |
| | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 12-आवासीय भवनों का निर्माण | 430.00 |
| | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 13-जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण | 110.00 |
| | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 14-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य | 85.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4216 का योग | 625.00 |
| | | अनुदान संख्या 055 का योग | 5301.00 |
| 057 | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1-केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. का निर्माण | 35000.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण | 31516.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 3-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण | 35455.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 4-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित) | 74850.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5054 का योग | 176821.00 |
| | | अनुदान संख्या 057 का योग | 176821.00 |
| 058 | 3054-सड़क तथा सेतु | 1-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत | 3000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 3054 का योग | 3000.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण | 100.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण | 80000.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 4-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण | 70000.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|--|------------|--|--------------------------|
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 5-इण्डो-नेपाल बार्डर पर कार्य | 1000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 6-एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ.प्र. जिला सडक परियोजना के नये कार्य | 100.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 7-औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण कार्य | 5000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 8-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण | 10000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 9-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण | 100.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 10-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य | 100.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 11-केन्द्रीय मार्ग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य | 5000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 12-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान | 100.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 13-चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण | 25000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 14-तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण | 1000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 15-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था | 10000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 16-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण | 50000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 17-मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय | 4000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 18-राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण | 10000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 19-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण | 5000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 20-राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण | 50000.00 |
| 5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 21-विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना | 31000.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|---|---|--------------------------|
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 22-शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण | 30000.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 23-सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5054 का योग | 392500.00 |
| | | अनुदान संख्या 058 का योग | 395500.00 |
| 059 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1-उ.प्र. विधान भवन एवं सचिवालय परिसर का पुनर्विकास | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 5000.00 |
| | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 2-लखनऊ स्थित पुरानी झाइवर कालोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नये आवासों का निर्माण | 441.50 |
| | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 3-लखनऊ स्थित महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नये आवासों के निर्माण | 1100.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4216 का योग | 1541.50 |
| | | अनुदान संख्या 059 का योग | 6541.50 |
| 060 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 1-मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेण्डली कार्यालय का निर्माण | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 500.00 |
| | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 2-वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में महिला छात्रावास का निर्माण | 100.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4216 का योग | 100.00 |
| | | अनुदान संख्या 060 का योग | 600.00 |
| 061 | 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें | 1-षष्ठम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) का गठन | 245.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2070 का योग | 245.00 |
| | | अनुदान संख्या 061 का योग | 245.00 |
| 063 | 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन | 1-इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम का विकास एवं क्रियान्वयन | 2500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2054 का योग | 2500.00 |
| | | अनुदान संख्या 063 का योग | 2500.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---|---|--|--------------------------|
| 065 | 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें | 1-वित्त विभाग में पी.एम.यू. का गठन | 100.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2052 का योग | 100.00 |
| 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 2-वित्तीय सांख्यिकी की निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ के लिये वाहन का क्रय | 14.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4070 का योग | 14.00 |
| | | अनुदान संख्या 065 का योग | 114.00 |
| 068 | 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | 1-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि | 30.00 |
| | 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | 2-विधान सभा सचिवालय के पुरुषोत्तम दास टण्डन हॉल से सम्बद्ध कैफेटेरिया को दी जाने वाली प्रबन्धकीय सहायता में वृद्धि | 5.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2011 का योग | 35.00 |
| 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 3-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के उपयोगार्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष एवं संचार प्रणाली की स्थापना | 255.35 |
| 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | | 4-विधान सभा के माननीय सदस्यों के जीवन परिचय एवं अन्य सूचनाओं के लिये ग्राफिक मानीटर सिस्टम की स्थापना | 496.08 |
| | | लेखा शीर्ष 4070 का योग | 751.43 |
| | | अनुदान संख्या 068 का योग | 786.43 |
| 070 | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 1-उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 का क्रियान्वयन | 4500.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 2-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत 16 नगर निगम एवं नोएडा सिटी को सोलर सिटी विकसित किए जाने के लिये फण्ड एवं प्रोत्साहन | 4000.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 3-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रशिक्षण (सूर्यमित्र) प्रदान किया जाना | 1200.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 4-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना | 1575.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 5-उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के तहत पी.एम. कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों का सोलराइजेशन | 5000.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|------------------------|--|---|--------------------------|
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 6-पी.एम. कुसुम योजना घटक सी-2 का क्रियान्वयन | 7500.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 7-यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पूंजीगत उपादान | 12500.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 8-यूपीनेडा प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट का गठन | 1.00 |
| | 2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | 9-सोलर स्फोटॉप स्टालेशन पर देय दण्ड डी.एस.एम. दिया जाना | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2810 का योग | 36776.00 |
| | 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 10-जनपद - आगरा में साइंस सिटी की स्थापना | 200.00 |
| | 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 11-जनपद - वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 3425 का योग | 400.00 |
| | 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 12-जनपद - आगरा में साइंस सिटी की स्थापना | 1300.00 |
| | 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 13-जनपद - वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना | 1300.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5425 का योग | 2600.00 |
| | | अनुदान संख्या 070 का योग | 39776.00 |
| 071 | 2202-सामान्य शिक्षा | 1-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 28300.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2202 का योग | 28300.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 2-चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | 23700.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 3-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 12200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 35900.00 |
| | | अनुदान संख्या 071 का योग | 64200.00 |
| 072 | 2202-सामान्य शिक्षा | 1-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 27300.00 |
| | 2202-सामान्य शिक्षा | 2-स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2202 का योग | 27800.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|---|--------------------------|
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 3-चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | 23700.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 4-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 11700.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 5-माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज में नव निर्माण एवं सम्पूर्ण भवन, भवन की छतों का जीर्णोद्धार | 100.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 6-माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नव निर्माण एवं सम्पूर्ण भवन, भवन की छतों एवं सचिव आवास का जीर्णोद्धार | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 36000.00 |
| | | अनुदान संख्या 072 का योग | 63800.00 |
| 073 | 2202-सामान्य शिक्षा | 1-उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना | 100.00 |
| | 2202-सामान्य शिक्षा | 2-प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की स्थापना | 100.00 |
| | 2202-सामान्य शिक्षा | 3-महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ में साहित्यकार एवं इतिहासवेत्ता रांगेय राघव शोध पीठ की स्थापना | 200.00 |
| | 2202-सामान्य शिक्षा | 4-मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना | 10000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2202 का योग | 10400.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 5-ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना | 30000.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 6-देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना | 5000.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 7-प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये "स्किल हब" की स्थापना | 1.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 8-प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के लिये सहायता | 500.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 9-मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना | 5000.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 10-विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 45501.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| | | अनुदान संख्या 073 का योग | 55901.00 |
| 074 | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1-अनावासीस भवनों का निर्माण | 500.00 |
| | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2-आवासीस भवनों का निर्माण | 1000.00 |
| | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 3-जनपद - आजमगढ़ एवं गोरखपुर में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय भवन का निर्माण | 500.00 |
| | 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 4-होमगाड़, स विभाग में आवासीय भवनों का निर्माण | 1000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4070 का योग | 3000.00 |
| | | अनुदान संख्या 074 का योग | 3000.00 |
| 075 | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 1-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना | 1385.57 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 1385.57 |
| | | अनुदान संख्या 075 का योग | 1385.57 |
| 076 | 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास | 1-अटल आवासीय विद्यालयों में अनाथ बच्चों के प्रवेश शुल्क हेतु | 144.25 |
| | | लेखा शीर्ष 2230 का योग | 144.25 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 2-अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास | 4999.31 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 4999.31 |
| | | अनुदान संख्या 076 का योग | 5143.56 |
| 077 | 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास | 1-सेवामित्र पोर्टल का संचालन एवं विकास तथा कॉलसेन्टर का संचालन | 200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2230 का योग | 200.00 |
| | 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 2-जिला सेवायोजन कार्यालय, बदायूं का भवन निर्माण | 75.52 |
| | 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 3-जिला सेवायोजन कार्यालय, शामली का भवन निर्माण | 121.74 |
| | | लेखा शीर्ष 4250 का योग | 197.26 |
| | | अनुदान संख्या 077 का योग | 397.26 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|------------------------|--|--|--------------------------|
| 078 | 2013-मंत्रि परिषद् | 1-मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष | 16200.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2013 का योग | 16200.00 |
| | 2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें | 2-मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, उत्तर प्रदेश का संचालन | 1000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2052 का योग | 1000.00 |
| | | अनुदान संख्या 078 का योग | 17200.00 |
| 079 | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1-अन्य पिछड़ा वर्ग के आवासीय सुविधा के लिये संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण | 125.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2225 का योग | 125.00 |
| | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 2-डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में नवनिर्मित विशिष्ट स्टेडियम का संचालन | 100.00 |
| | 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 3-दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र का संचालन | 100.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2235 का योग | 200.00 |
| | 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 4-डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण | 200.00 |
| | 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 5-डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक अतिरिक्त महिला छात्रावास का निर्माण | 200.00 |
| | 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 6-राजकीय ब्रेल प्रेस, लखनऊ में नवीन ब्रेल प्रेस की स्थापना | 100.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4235 का योग | 500.00 |
| | | अनुदान संख्या 079 का योग | 825.00 |
| 081 | 2202-सामान्य शिक्षा | 1-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 700.00 |
| | 2202-सामान्य शिक्षा | 2-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 350.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2202 का योग | 1050.00 |
| | 2211-परिवार कल्याण | 3-भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना | 1846.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2211 का योग | 1846.00 |
| | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 4-आदिम जनजाति परियोजना | 33.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों | 5-एकीकृत जनजाति परियोजना, खीरी | 190.56 |
| | तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | |
| | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों | 6-थारू विकास परियोजना, बलरामपुर | 141.50 |
| | तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | |
| | 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों | 7-बिखरी आबादी वाली जनजातियों के लिये विकास परियोजना | 53.45 |
| | तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | |
| | | लेखा शीर्ष 2225 का योग | 418.51 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 8-चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | 1200.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 9-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना | 19.24 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 10-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 450.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 1669.24 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 11-एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि | 5526.00 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 12-जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना | 16625.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4210 का योग | 22151.00 |
| | | अनुदान संख्या 081 का योग | 27134.75 |
| 083 | 2202-सामान्य शिक्षा | 1-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 6700.00 |
| | 2202-सामान्य शिक्षा | 2-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 7350.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2202 का योग | 14050.00 |
| | 2211-परिवार कल्याण | 3-भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना | 4615.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2211 का योग | 4615.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 4-चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | 5700.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 5-चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | 5700.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर | 6-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये | 519.59 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|---|---|--------------------------|
| | पूँजीगत परिव्यय | उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना | |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय | 7-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 2800.00 |
| | 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय | 8-पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | 3150.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 17869.59 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | 9-एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि | 15632.00 |
| | 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | 10-जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना | 47014.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4210 का योग | 62646.00 |
| | 4225-अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | 11-संत रविदास मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असेवित जनपदों में अनुसूचित जाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण | 5000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4225 का योग | 5000.00 |
| | 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय | 12-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें | 12500.00 |
| | 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय | 13-बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें | 7500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4575 का योग | 20000.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 14-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण | 8484.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 15-राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्य | 13500.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 16-राज्य राजमार्गों के चौडीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य | 13500.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 17-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण | 9545.00 |
| | 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | 18-सेतुओं का निर्माण (नाबाई पोषित) | 20150.00 |
| | | लेखा शीर्ष 5054 का योग | 65179.00 |
| | | अनुदान संख्या 083 का योग | 189359.59 |
| 086 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय | 1-प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय भवन, केन्द्र एवं प्रेस क्लब तथा संकुल का निर्माण | 1500.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 1500.00 |
| | | अनुदान संख्या 086 का योग | 1500.00 |
| 092 | 2205-कला एवं संस्कृति | 1-जनपद - आजमगढ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का रख-रखाव | 156.56 |
| | 2205-कला एवं संस्कृति | 2-जनपद - आजमगढ में हरिऔध कला भवन का रख-रखाव | 55.37 |
| | 2205-कला एवं संस्कृति | 3-जनपद - आजमगढ में हरिहरपुर कजरी महोत्सव | 50.00 |
| | 2205-कला एवं संस्कृति | 4-नेपाल सीमा से जुड़े उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों एवं महोत्सवों का आयोजन | 200.00 |
| | 2205-कला एवं संस्कृति | 5-बिरजू महाराज कथक संस्थान | 160.84 |
| | 2205-कला एवं संस्कृति | 6-भातरखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय | 1000.00 |
| | 2205-कला एवं संस्कृति | 7-भातरखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय (भातरखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय), लखनऊ के सेवानिवृत्ति शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान | 422.39 |
| | | लेखा शीर्ष 2205 का योग | 2045.16 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 8-जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण | 500.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 9-भारतेन्दु नाट्य अकादमी के बी.एम.शाह एवं थ्रस्ट प्रेक्षागृहों का जीर्णोद्धार | 1000.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 10-शहीद स्मारकों का निर्माण | 100.00 |
| | 4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 11-संरक्षित स्मारकों / पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4202 का योग | 2100.00 |
| | | अनुदान संख्या 092 का योग | 4145.16 |
| 093 | 2702-लघु सिंचाई | 1-इण्डिया-इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट | 50.00 |
| | 2702-लघु सिंचाई | 2-उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना | 100.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2702 का योग | 150.00 |
| | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 3-लघु सिंचाई भवन के लिये उपलब्ध भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण | 200.00 |

वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

| अनुदान /क्रम संख्या | लेखा शीर्ष | मद का नाम | धनराशि (रुपये लाख में) |
|---------------------|--|---|--------------------------|
| | | लेखा शीर्ष 4059 का योग | 200.00 |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 4-डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना | 500.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4702 का योग | 500.00 |
| | | अनुदान संख्या 093 का योग | 850.00 |
| 094 | 2700-मुख्य सिंचाई | 1-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें | 236.00 |
| | | लेखा शीर्ष 2700 का योग | 236.00 |
| 2701 | मुख्य तथा मध्यम सिंचाई | 2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें | 205.43 |
| | | लेखा शीर्ष 2701 का योग | 205.43 |
| 4700 | मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 3-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें | 176529.32 |
| | | लेखा शीर्ष 4700 का योग | 176529.32 |
| 4701 | मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 4-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें | 21038.06 |
| | | लेखा शीर्ष 4701 का योग | 21038.06 |
| 4702 | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 5-लघु सिंचाई की परियोजनायें | 3000.00 |
| | | लेखा शीर्ष 4702 का योग | 3000.00 |
| 4711 | बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 6-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें | 56806.24 |
| | | लेखा शीर्ष 4711 का योग | 56806.24 |
| | | अनुदान संख्या 094 का योग | 257815.05 |

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

गोरखपुर नगर स्थित गोडधोइया नाला एवं रामगढ ताल के जीर्णोद्धार तथा इन्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण

गोरखपुर नगर स्थित गोडधोइया नाला एवं रामगढ ताल के जीर्णोद्धार तथा इन्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट सम्बन्धी परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 650.10 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 650.10 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|----------|
| 4217- | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- | अन्य शहरी विकास योजनायें | |
| 800- | अन्य व्यय | |
| 04- | गोरखपुर नगर स्थित गोडधोइया नाला एवं रामगढ ताल के जीर्णोद्धार तथा इन्टरसेप्शन, डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 65010.00 |

प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा रोप-वे सेवा विकसित करने हेतु परियोजना का क्रियान्वयन

लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के नये कार्य तथा जनपद - वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|--|----------|
| 4217- | शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- | अन्य शहरी विकास योजनायें | |
| 800- | अन्य व्यय | |
| 08- | लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी व अन्य शहरों में रोप-वे विकसित करने हेतु | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 10000.00 |

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 का क्रियान्वयन

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र द्वारा सर्वाधिक रोजगार प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

28- उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

10000.00

उत्तर प्रदेश सेवा क्षेत्र नीति-2022 का क्रियान्वयन

प्रदेश की लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की इकाईयों को सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश सेवा क्षेत्र नीति-2022 के क्रियान्वयन" हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

31- उ.प्र. सेवा क्षेत्र नीति-2022

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में सूक्ष्म उद्यमियों की दुर्घटना में अस्वामयिक मृत्यु की स्थिति में परिजनों को रुपये 5.00 लाख का बीमा कवर किये जाने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

32- मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

जिला उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के कार्यालय भवन का निर्माण

नवसृजित जनपद - अमरोहा, बागपत, अमेठी, सम्भल, शामली, हापुड एवं जनपद - वाराणसी व चन्दौली में जिला उद्योग प्रोत्साहन केन्द्र और उद्यमिता विकास केन्द्र के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 535.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 535.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 102- लघु उद्योग | |
| 07- जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का भवन निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 535.00 |

प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण

प्रदेश के युवाओं को रोजगार के सुअवसर उपलब्ध कराने के लिये युवाओं के तकनीकी उन्नयन के लिये स्थापित 17 प्रशिक्षण केन्द्रों - राजकीय पायलट वर्कशाप, अलीगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, राजकीय प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्र देवरिया, सलेमपुर (देवरिया), गाजीपुर, मिर्जापुर, गाजियाबाद, लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, सहारनपुर, राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र, झाँसी, कृषि यन्त्र संयंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, मऊरानीपुर झाँसी आदि के पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 102- लघु उद्योग | |
| 08- प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के पुनर्निर्माण एवं सुदृढीकरण योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2500.00 |

"यूनिटी मॉल" का निर्माण

भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजनान्तर्गत "यूनिटी मॉल" के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 102- लघु उद्योग | |
| 09- भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता | |
| 0901- यूनिटी मॉल का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 20000.00 |

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

भारत सरकार की पी.एम. मित्र योजना अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के सम्बन्ध में जनपद लखनऊ / हरदोई में कृषि विभाग की चिन्हित लगभग 1,000 एकड़ भूमि, जिसका कुल अंश उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वासन हेतु दिया गया है, के सम्बन्ध में 'उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि' को सीड-मनी के रूप में धनराशि दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

03- पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि व्यवस्था

42-अन्य व्यय

2000.00

उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी - 2022

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेश को आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजित कराये जाने के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी - 2022" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

800- अन्य व्यय

03- उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी-2022

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

15000.00

टेक्सटाइल पार्कों में सड़क, विद्युत लाइन, स्वतन्त्र विद्युत फीडर, ट्रांसफार्मर / विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेन्टिंग पालिसी - 2022 के अन्तर्गत निजी टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये टेक्सटाइल पार्क को जोड़ने वाली मौजूदा सड़क को मजबूत करने एवं निजी पार्क के लिये आवश्यक विद्युत लाइन तथा अलग से स्वतंत्र विद्युत फीडर एवं ट्रांसफार्मर / विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05- संचरण तथा वितरण

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04- निजी टेक्सटाइल पार्क में सड़क, विद्युत लाइन, स्वतन्त्र फीडर, ट्रांसफार्मर / विद्युत उपकेन्द्र की व्यवस्था

30-निवेश/ऋण

1500.00

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

यू.पी.डेस्को के अन्तर्गत पी.एम.यू. का गठन

आई.टी. सर्विसेज / ई-गवर्नेन्स की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्वान-2.0, स्टेट डाटा सेन्टर-2.0 तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये यू.पी.डेस्को में "प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (पी.एम.यू.)" के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2852- उद्योग

07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

202- इलेक्ट्रॉनिक्स

06- यू.पी. डेस्को के अन्तर्गत पी.एम.यू. का गठन

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

150.00

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड / उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड / उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड / उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान

उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड / उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड / उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड / उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड की मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 878.18 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 878.18 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2852- उद्योग

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

09- उ.प्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लि. / उ.प्र. स्टेट यार्न कं.लि./उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कं.लि. / उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. की

मिलों के शासकीय देयताओं के अतिरिक्त अन्य मदों में बकाया धनराशि का भुगतान

42-अन्य व्यय

87818.00

उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की रायबरेली, मऊनाथ भंजन तथा बाराबंकी इकाईयों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को बकाया ऋण तथा कम्पनी को प्रदत्त अंशपूँजी के अपलेखन हेतु अनुदान

उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड की रायबरेली, मऊनाथ भंजन तथा बाराबंकी इकाईयों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को बकाया ऋण (मूलधन रुपये 19471.00 लाख) तथा कम्पनी को प्रदत्त अंशपूँजी (रुपये 9324.00 लाख) के अपलेखन के लिये अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 287.95 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 287.95 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2852- उद्योग

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

27- उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि. की रायबरेली, मऊनाथ भंजन तथा बाराबंकी इकाईयों पर दिनांक 01-04-2023 को बकाया ऋण (मूलधन) के अपलेखन हेतु अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

19471.00

29- उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि. को प्रदत्त अंशपूँजी के अपलेखन हेतु अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

9324.00

योग -

28795.00

उ.प्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, उ.प्र. स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड तथा उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को बकाया ऋण (मूलधन) तथा कम्पनी को प्रदत्त अंशपूँजी के अपलेखन हेतु अनुदान के लिये एकमुश्त व्यवस्था

उ.प्र. सहकारी कताई मिल्स संघ लिमिटेड, उ.प्र. स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड तथा उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड पर दिनांक 01 अप्रैल, 2023 को बकाया ऋण (मूलधन) तथा कम्पनी को प्रदत्त अंशपूँजी के अपलेखन हेतु अनुदान के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2852- उद्योग

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

30- उ.प्र. सहकारी कताई मिल संघ, उ.प्र. स्टेट यार्न कम्पनी लि. तथा उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि. पर दिनांक 01-04-2023 को बकाया ऋण (मूलधन) तथा उनको प्रदत्त शासकीय अंशपूँजी के अपलेखन हेतु अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50000.00

उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास

भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4875- अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य उद्योग | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूँजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता | |
| 0501- उत्तर प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2500.00 |

झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना

प्रदेश में नये औद्योगिक विकास एवं निवेश के लिये अवसर खोलना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा झाँसी एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से "झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 03- राज्य राजमार्ग | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 15- झाँसी लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| 60-भूमि क्रय | 10000.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 15000.00 |

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना

प्रदेश में नये औद्योगिक विकास एवं निवेश के लिये अवसर खोलना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा चित्रकूट एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से "चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 85.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 85.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 03- राज्य राजमार्ग | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 16- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 3500.00 |
| 60-भूमि क्रय | 5000.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 8500.00 |

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ के आधार पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ के आधार पर 100 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|-----------|
| 2801- बिजली | |
| 05- संचरण एवं वितरण | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 08- निजी नलकूप उपभोक्ताओं को टैरिफ सब्सिडी हेतु यू.पी.पी.सी.एल.को अनुदान | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 150000.00 |

रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग हेतु अनुदान

रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग के लिये अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 6500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 6500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|-----------|
| 2801- बिजली | |
| 05- संचरण एवं वितरण | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 09- रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फण्डिंग | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 650000.00 |

3x210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं **2x250** मेगावाट अनपरा 'ब' परियोजना में **30** एम.एल.डी. क्षमता के उत्प्रवाह शोधन संयंत्र के कार्य

3x210 मेगावाट अनपरा 'अ' एवं 2x250 मेगावाट अनपरा 'ब' परियोजना में 30 एम.एल.डी. क्षमता के उत्प्रवाह शोधन संयंत्र के कार्य के लिये अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 898.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 898.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | |
| 14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | |
| 1432- 3x210 मे.वा. अनपरा 'अ' एवं 2x250 मे.वा. अनपरा 'ब' परियोजना में 30 एम.एल.डी. क्षमता के उत्प्रवाह शोधन संयंत्र के कार्य हेतु अंशपूजी | |
| 30-निवेश/ऋण | 898.00 |

हरदुआगंज 2x250 मेगावाट, पारीछा 2x210 मेगावाट एवं पारीछा 2x250 मेगावाट तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना

हरदुआगंज 2x250 मेगावाट, पारीछा 2x210 मेगावाट एवं पारीछा 2x250 मेगावाट तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना के लिये अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | |
| 14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | |
| 1433- हरदुआगंज 2x250 मे.वा., पारीछा 2x210 मे.वा. एवं पारीछा 2x250 मे.वा. तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना हेतु अंशपूजी | |
| 30-निवेश/ऋण | 10000.00 |

ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर अन्तर्गत पारेषण के कार्य हेतु देय राज्यांश की धनराशि

ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर- II के पारेषण कार्यों के लिये (राज्यांश) अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 434.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 434.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 05- संचरण तथा वितरण | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | |
| 12- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु अंशपूजी | |
| 30-निवेश/ऋण | 43400.00 |

ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को अंशपूजी

ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर- II के पारेषण कार्यों के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 05- संचरण तथा वितरण | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश | |
| 20- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता के सापेक्ष उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को अंशपूजी | |
| 30-निवेश/ऋण | 10000.00 |

पी.एस.डी.एफ. योजनान्तर्गत कैपिसिटर बैंक की स्थापना

पी.एस.डी.एफ. योजनान्तर्गत 33/11 के.वी उपकेन्द्रों पर कैपिसिटर बैंक की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.28 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.28 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

09- पी.एस.डी.एफ. योजना अन्तर्गत 33/11 के.वी. उपकेन्द्रों पर बैंक्स की स्थापना (के.75/रा.25-रा.)

30-निवेश/ऋण

1528.00

ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों के लिये के.एफ.डब्ल्यू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को ऋण

ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों के लिये के.एफ.डब्ल्यू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को ऋण दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 1020.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1020.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6801- बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

03- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-II के पारेषण कार्यों हेतु के.एफ.डब्ल्यू. से प्राप्त होने वाले ऋण के सापेक्ष उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को ऋण

30-निवेश/ऋण

102000.00

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूँजी निवेशक, रोजगार, सृजन एवं ग्रामीण आय में वृद्धि एवं उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के लिये उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 2401- फसल कृषि कर्म | |
| 119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें | |
| 04- फल | |
| 0401- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2022 | |
| 08-कार्यालय व्यय | 2.50 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2.50 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 12.50 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 2.50 |
| 18-प्रकाशन | 5.00 |
| 27-सब्सिडी | 9850.00 |
| 42-अन्य व्यय | 12.50 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 2.50 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 5.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 100.00 |
| | 10000.00 |
| योग - | |

ऊतक सम्वर्द्धन प्रयोगशाला की स्थापना

प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिशू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक सम्वर्द्धन प्रयोगशाला की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | |
| 80- सामान्य | |
| 004- अनुसंधान | |
| 04- फल | |
| 0402- टिशूकल्चर लैब की स्थापना | |
| 08-कार्यालय व्यय | 1.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 20.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 1.00 |
| 18-प्रकाशन | 5.00 |
| 42-अन्य व्यय | 10.00 |
| 43-सामग्री एवं सम्पत्ति | 25.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 15.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 18.00 |
| | 100.00 |
| | योग - |

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन को व्यावसायिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेरोजगार नवयुवक एवं इच्छुक मौन पालकों को वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन तथा शहद उत्पादकों को नवीनतम प्रोसेसिंग तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। अतः सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | |
| 80- सामान्य | |
| 004- अनुसंधान | |
| 04- फल | |
| 0403- सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर | |
| 08-कार्यालय व्यय | 5.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 15.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 10.00 |
| 18-प्रकाशन | 10.00 |
| 42-अन्य व्यय | 20.00 |
| 43-सामग्री एवं सम्पत्ति | 30.00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 50.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 20.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 10.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 30.00 |
| | 200.00 |
| योग - | |

ऊतक सम्बर्द्धन प्रयोगशाला की स्थापना

प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक सम्बर्द्धन प्रयोगशाला की स्थापना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 900.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 900.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- फल | |
| 0402- टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 400.00 |
| | 900.00 |
| योग - | |

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर

उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन को व्यावसायिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेरोजगार नवयुवक एवं इच्छुक मौन पालकों को वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खी पालन तथा शहद उत्पादकों को नवीनतम प्रोसेसिंग तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जायेगा । अतः सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- फल

0403- सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर हनी, सहारनपुर

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

300.00

योग -

800.00

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि महाविद्यालय, आजमगढ में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर

कृषि महाविद्यालय, आजमगढ में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी-टियर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|-------|
| 2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ | |
| 01- सिविल | |
| 117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान | |
| 03- राज्य सरकार का अंशदान | |
| 0310- कृषि महाविद्यालय, आजमगढ में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए नियोक्ता अंशदान कर्मचारी | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 50.00 |

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम

वर्ष 2022-2023 से वर्ष 2026-2027 तक प्रदेश में मिलेट्स की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिये उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 5560.75 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 5560.75 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2401- फसल कृषि कर्म | |
| 103- बीज | |
| 06- उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम | |
| 08-कार्यालय व्यय | 7.50 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 7.50 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 6.00 |
| 42-अन्य व्यय | 4817.50 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूति | 165.75 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 517.50 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 24.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 15.00 |

योग -

5560.75

उत्तर प्रदेश दलहन बीज मिनी किट वितरण योजना

दलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये कृषकों को निःशुल्क दलहन बीज मिनी किट के वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | | |
|--|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 2401- फसल कृषि कर्म | | |
| 103- बीज | | |
| 07- उ.प्र.दलहन बीज मिनीकिट वितरण कार्यक्रम | | |
| 27-सब्सिडी | | 1381.58 |
| 42-अन्य व्यय | | 118.42 |
| | योग - | <u>1500.00</u> |

तिलहन बीज मिनी किट वितरण योजना

तिलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिये कृषकों को निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट के वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | | |
|--|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 2401- फसल कृषि कर्म | | |
| 114- तिलहन विकास | | |
| 03- तिलहन बीज मिनीकिट वितरण योजना | | |
| 27-सब्सिडी | | 1316.70 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | | 183.30 |
| | योग - | <u>1500.00</u> |

कृषकों के डिजिटल डाटा बेस हेतु एग्रीस्टैक योजना

किसानों के भूमि, फसल, जोत का आकार, उत्पादन एवं उत्पादकता का डिजिटल डाटा बेस तैयार कर फसलों के रोगों, दैवी आपदा से उत्पन्न हानि का आंकलन आदि के लिये कृषकों के डिजिटल डाटा बेस हेतु एग्रीस्टैक योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | | |
|--|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 2401- फसल कृषि कर्म | | |
| 800- अन्य व्यय | | |
| 03- कृषकों के डिजिटल डेटा बेस हेतु एग्रीस्टैक योजना | | |
| 42-अन्य व्यय | | 120.00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | | 10.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | | 60.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | | 8.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | | 2.00 |
| | योग - | <u>200.00</u> |

प्रत्येक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एग्रीटिक स्टार्ट-अप इक्यूवेशन सेण्टर की स्थापना

प्रत्येक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एग्रीटिक स्टार्ट-अप इक्यूवेशन सेण्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये

20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 05- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों में एग्रीटिक स्टार्ट-अप / इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2000.00 |

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में मार्गों का सुदृढीकरण

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में निर्मित विभिन्न भवनों को मुख्य मार्ग से जोड़ने तथा पूर्व में निर्मित सम्पर्क मार्गों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ | |
| 2703- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में मार्गों का सुदृढीकरण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ के अन्तर्गत दांतल प्रक्षेत्र पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ के अन्तर्गत दांतल प्रक्षेत्र पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ | |
| 2705- दांतल प्रक्षेत्र पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर ओवर हेड टैंक का निर्माण

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर 500 कि.ली. क्षमता के ओवर हेड टैंक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या | |
| 2803- मुख्य परिसर पर 500 कि0 ली0 क्षमता से शिरोपरि जलाशय का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 300.00 |

कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में मार्गों का सुदृढीकरण

कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में मार्गों के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या | |
| 2804- कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर पर मार्गों का सुदृढीकरण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में टाइप - 3 आवास का निर्माण

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में टाइप - 3 आवास - 3 नग (12+12+12 आवास) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 29- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा | |
| 2907- टाइप-3 आवास-3 नग (12+12+12) का निर्माण कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 800.00 |

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में स्थित ट्यूबवेलों / जल संचय के लिये जलाशयों एवं जलमल निस्तारण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में सीवर लाईन बिछाने, भूमिगत जलाशय, ट्यूबवेल तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 674.33 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-

व्ययक में रुपये 674.33 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | |
| 3102- सीवर लाइन बिछाने, भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य, टयूबवेल का निर्माण कार्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 674.33 |

कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में विद्युत व्यवस्था में सुधार

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में विद्युत व्यवस्था में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 224.70 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 224.70 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | |
| 3103- विद्युत व्यवस्था में सुधार | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 224.70 |

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के इटावा प्रांगण पर बालकों के छात्रावासों की तरफ चाहरदीवारी एवं गेट का निर्माण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत इटावा प्रांगण पर बालकों के छात्रावासों की तरफ चाहरदीवारी एवं गेट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 185.61 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 185.61 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 277- शिक्षा | |
| 31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर | |
| 3104- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत इटावा प्रांगण पर बालकों के छात्रावास की तरफ चाहरदीवारी एवं गेट का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 185.61 |

महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना

महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।
तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

33- महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

अनुदान संख्या 012

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना

ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना के वेतन-भत्ते एवं अधिष्ठान व्यय (राज्य पोषित) हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 124.69 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 124.69 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2705- कमान क्षेत्र विकास

800- अन्य व्यय

03- ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकारी / परियोजना

| | |
|--|---------|
| 01-वेतन | 8000.00 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 3600.00 |
| 04-यात्रा व्यय | 20.00 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 10.00 |
| 06-अन्य भत्ते | 8.00 |
| 07-मानदेय | 0.50 |
| 08-कार्यालय व्यय | 25.00 |
| 09-विद्युत देय | 25.00 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | 4.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 10.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 4.50 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 4.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 30.00 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 10.00 |
| 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 80.00 |
| 18-प्रकाशन | 1.00 |
| 42-अन्य व्यय | 2.00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 2.00 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 3.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 3.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5.00 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 120.00 |
| 51-वर्दी व्यय | 2.00 |
| 55-मकान किराया भत्ता | 500.00 |

योग -

12469.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास मुख्यालय एवं आवासीय भवन के बाउण्ड्रीवाल निर्माण

ग्राम्य विकास मुख्यालय एवं आवासीय भवन के लिये उपलब्ध स्थल के बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

04- ग्राम्य विकास विभाग (मुख्यालय) के नवीन भवन हेतु उपलब्ध स्थल के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

200.00

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

विभिन्न आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

प्रदेश के समस्त विकास खण्डों, जनपद एवं मण्डल में विभिन्न आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें

104- खेलकूद

04- विभिन्न आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन

42-अन्य व्यय

200.00

युवा केन्द्र, शहरी व्यायामशालाओं एवं विभागीय भवनों का रखरखाव

विभिन्न जनपदों में युवा केन्द्र, शहरी व्यायामशालाओं एवं विभागीय भवनों के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें

800- अन्य व्यय

03- युवा केन्द्रों एवं शहरी व्यायामशालाओं का रख-रखाव

42-अन्य व्यय

100.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढीकरण

पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 145.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 145.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

10- पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का संचालन एवं सुदृढीकरण

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

15.20

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

64.50

29-अनुरक्षण

7.60

39-औषधि तथा रसायन

22.80

42-अन्य व्यय

7.60

43-सामग्री एवं सम्पत्ति

19.20

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

1.00

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

7.60

योग -

145.50

बायो मेडिकल वेस्ट की निस्तारण योजना

पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य प्रबन्धन के उपरान्त उत्सर्जित बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य

11- बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण योजना

08-कार्यालय व्यय

1.00

42-अन्य व्यय

480.00

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

17.00

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

1.00

47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

1.00

योग -

500.00

प्रक्षेत्र एवं डी.एफ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना

प्रक्षेत्र एवं डी.एफ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 121.00

लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 121.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 2403- पशु पालन | |
| 102- पशु तथा भैस विकास | |
| 06- प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (राज्य योजना) | |
| 08-कार्यालय व्यय | 11.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 11.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 44.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 15.40 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 39.60 |
| | 121.00 |
| योग - | 121.00 |

अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड / सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना

अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड / सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 4473.75 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 4473.75 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2403- पशु पालन | |
| 102- पशु तथा भैस विकास | |
| 08- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेडा, लखनऊ पर बोवाइन पशुओं में सेक्सड/सार्टेड सीमेन के उपयोग की योजना (राज्य योजना) | |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 10.00 |
| 42-अन्य व्यय | 2300.00 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूति | 2114.55 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 49.20 |
| | 4473.75 |
| योग - | 4473.75 |

भेड़ पालकों को नस्ल सुधार के लिये मेढे उपलब्ध कराया जाना

प्रदेश के 7 भेड़ बाहुल्य जनपद - प्रयागराज, वाराणसी, चन्दौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र एवं कौशाम्बी में भेड़ पालकों को नस्ल सुधार के लिये मेढे उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 31.91 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 31.91 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|-------------|
| 2403- पशु पालन | |
| 104- भेड़ तथा ऊन विकास | |
| 04- भेड़ पालकों को नस्ल सुधार हेतु मेढे उपलब्ध कराने की योजना | |
| 04-यात्रा व्यय | 2.40 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3.25 |
| 39-औषधि तथा रसायन | 1.50 |
| 42-अन्य व्यय | 4.91 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूति | 19.85 |
| | योग - 31.91 |

भेड़ पालन योजना

प्रदेश के गरीब, भूमिहीन परिवारों की आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से भेड़ बाहुल्य जनपदों में 225 भेड़ इकाईयाँ स्थापित कराये जाने के दृष्टिगत प्रति इकाई 01 नर एवं 20 मादा भेड़, भेड़ पालकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 344.75 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 344.75 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------------|
| 2403- पशु पालन | |
| 104- भेड़ तथा ऊन विकास | |
| 05- भेड़ पालन की योजना (रा. 90/ ला.10) | |
| 08-कार्यालय व्यय | 0.50 |
| 39-औषधि तथा रसायन | 13.50 |
| 42-अन्य व्यय | 36.00 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूति | 294.75 |
| | योग - 344.75 |

भेड़ एवं बकरी प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन

प्रदेश के 75 जनपदों में 5-5 बकरी इकाइयों को स्थापित करने के लिये भेड़ एवं बकरी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.64 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.64 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2403- पशु पालन | |
| 106- अन्य पशुधन विकास | |
| 05- भेड़ एवं बकरी पालन प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन | |
| 04-यात्रा व्यय | 2.50 |
| 07-मानदेय | 4.50 |
| 09-विद्युत देय | 3.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 1.00 |
| 42-अन्य व्यय | 3.50 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 1.50 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 8.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 26.64 |
| | 50.64 |
| योग - | 50.64 |

बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना

प्रदेश के गरीब, भूमिहीन परिवारों द्वारा पाली जा रही बरबरी, जमुनापारी तथा अवर्णित नस्ल की बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान कराकर नस्ल सुधार कर आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के 70 जनपदों (जनपद - गोरखपुर, देवरिया, सोनभद्र, मथुरा एवं ललितपुर में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान का कार्य पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है) में बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 374.81 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 374.81 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2403- पशु पालन | |
| 106- अन्य पशुधन विकास | |
| 06- बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की योजना | |
| 04-यात्रा व्यय | 49.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1.96 |
| 42-अन्य व्यय | 31.60 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 185.85 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 106.40 |
| | 374.81 |
| योग - | 374.81 |

प्रक्षेत्र एवं डी.एफ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना

प्रक्षेत्र एवं डी.एफ.एस. केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 165.00

लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 165.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 102- पशु तथा भैंस विकास | |
| 06- प्रक्षेत्र एवं डीएफएस केन्द्रों पर वीर्य स्ट्राज विपणन केन्द्र की स्थापना (राज्य योजना) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 165.00 |

जनपद - चन्दौली के नौगढ में वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौडा में टयूबवेल की स्थापना

जनपद - चन्दौली के नौगढ में वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौडा में टयूबवेल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 58.85 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 58.85 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|-------|
| 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 104- भेड तथा ऊन विकास | |
| 03- वृहद भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसौडा नौगढ चन्दौली में टयूबवेल की स्थापना (राज्य योजना) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 58.85 |

प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण

प्रदेश कार्यालय, महानगर, लखनऊ में अर्जित भूमि पर बाउण्ड्रीवाल एवं कार्यालय आदि के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 106- अन्य पशुधन विकास | |
| 03- प्रक्षेत्र मुख्यालय एवं प्रक्षेत्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 600.00 |

अनुदान संख्या 016

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022

उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2404- डेरी विकास

102- डेरी विकास परियोजनायें

11- उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2500.00

नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना

राज्य में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादकता और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा दुग्ध उत्पादकों की पहचान कर दुग्ध उत्पादन और बिक्री योग्य दूध के आँकड़े / डाटा बेस आदि तैयार करने के किये नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 5971.08 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 5971.08 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2404- डेरी विकास

102- डेरी विकास परियोजनायें

12- नन्द बाबा दुग्ध मिशन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

5971.08

नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना

राज्य में दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादकता और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा दुग्ध उत्पादकों की पहचान कर दुग्ध उत्पादन और बिक्री योग्य दूध के आँकड़े / डाटा बेस आदि तैयार करने के किये नन्द बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4404- डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

102- डेरी विकास परियोजनायें

03- नन्द बाबा दुग्ध मिशन

24-वृहत् निर्माण कार्य

150.00

अनुदान संख्या 020

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नये भवन निर्माण के लिये भूमि का क्रय

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नये भवन निर्माण के लिये लखनऊ में भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

03- उ.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

60-भूमि क्रय

100.00

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज परिसर स्थिति बहुमंजिला प्रशासनिक भवन (11 मंजिला जी प्लस) का नव निर्माण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज परिसर स्थिति बहुमंजिला प्रशासनिक भवन (11 मंजिला जी प्लस) के नव निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

04- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज परिसर में बहुमंजिला प्रशासनिक भवन का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्मिकों द्वारा योजित वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी किया जाना

उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्मिकों द्वारा योजित वादों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 70.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 70.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2075- विविध सामान्य सेवायें

800- अन्य व्यय

05- राज्य सरकार की ओर से आबद्ध अधिवक्ताओं की फीस /विविध व्यय

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

70.00

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

खेल विकास कोष की स्थापना

खेल उपकरण, विदेशी प्रदर्शन यात्रायें, विदेशी प्रशिक्षण शिविर, फिजियोलाजिस्ट मनोवैज्ञानिक और विदेशी कोचों जैसे विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति तथा होनहार खिलाड़ियों की सहायता के लिये खेल विकास कोष की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2204- खेल कूद तथा युवा सेवार्यें | |
| 104- खेलकूद | |
| 15- उ 0 प्र 0 खेल विकास कोष | |
| 42-अन्य व्यय | 2500.00 |

स्पोर्ट्स कालेज, फतेहपुर को अनुदान

स्पोर्ट्स कालेज, फतेहपुर के संचालन के लिये अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2204- खेल कूद तथा युवा सेवार्यें | |
| 104- खेलकूद | |
| 17- स्पोर्ट्स कालेज, फतेहपुर को अनुदान | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 50.00 |
| 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 100.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 150.00 |

प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं का निर्माण

प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 03- खेलकूद तथा युवा सेवा | |
| 102- खेलकूद स्टेडिया | |
| 13- प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |

खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नवनिर्माण

प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रचलित खेलों की खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नवनिर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 11671.98 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 11671.98 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

06- प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं का विकास एवं उन्नयन / नव निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

11671.98

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर, जिला-मेरठ में आसवनी की स्थापना

चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर, जिला-मेरठ में आसवनी की स्थापना के लिये अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4860- उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03- चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर (मेरठ) में आसवनी की स्थापना

30-निवेश/ऋण

3000.00

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण

पेराई सत्र 2022-2023 में रमाला (बागपत) एवं सठियाँव (आजमगढ) को छोड़कर अन्य उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 900.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 900.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

03- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज

30-निवेश/ऋण

90000.00

सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला अमरोहा की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना

सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला अमरोहा की पेराई क्षमता 2,500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 4,900 टी.सी.डी. करने, सल्फरलेस रिफाइनड शुगर उत्पादित करने, केन जूस / बी-हैवी / सी-हैवी शरि का उपयोग करते हुये एक लाख लीटर प्रतिदिन एथनॉल उत्पादन क्षमता की डिस्टिलरी एवं 100 टन प्रतिदिन प्रेसमड का उपयोग करते हुये कम्प्रेसड बायोगैस प्लान्ट की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 85.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 85.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

04- सहकारी चीनी मिल गजरौला की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु

30-निवेश/ऋण

8500.00

सहकारी चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव के लिये ऋण

सहकारी चीनी मिलों के आफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज

30-निवेश/ऋण

2500.00

सहकारी चीनी मिल, सेहरोड, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना

सहकारी चीनी मिल, सेहरोड, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर की पेराई क्षमता 3000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 5000 टी.सी.डी. करने तथा सल्फरलेस रिफाइनड शुगर चीनी का उत्पादन करते हुये पूर्व स्थापित 40 कि.ली. प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त 60/80 किलो लीटर प्रतिदिन एथेनॉल उत्पादन क्षमता की डिस्टिलरी की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 85.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 85.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

06- सहकारी चीनी मिल सेहरोड की पेराई क्षमता विस्तारीकरण तथा आसवनी आदि हेतु

30-निवेश/ऋण

8500.00

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथा, जिला-अलीगढ

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., साथा, जिला-अलीगढ के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार के लिये अपग्रेडेशन के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 20.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

07- सहकारी चीनी मिल साथा की आधुनिकीकरण / सुदृढीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्य

30-निवेश/ऋण

2000.00

किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर, जिला-सुल्तानपुर

किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर, जिला-सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार के लिये अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | |
| 04- चीनी | |
| 101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज | |
| 08- दि किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण / सुदृढीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्य | |
| 30-निवेश/ऋण | 2000.00 |

रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, जिला-रामपुर

रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर, जिला-रामपुर की कार्यक्षमता में सुधार के लिये तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | |
| 04- चीनी | |
| 101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज | |
| 09- रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर की तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण | |
| 30-निवेश/ऋण | 3000.00 |

किसान सहकारी मिल लिमिटेड, सेमीखेडा, जिला-बरेली एवं पूरनपुर, जिला-पीलीभीत

किसान सहकारी मिल लिमिटेड, सेमीखेडा, जिला-बरेली एवं किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, पूरनपुर, जिला-पीलीभीत की कार्यक्षमता में सुधार के लिये तकनीकी अपग्रेडेशन और आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 35.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | |
| 04- चीनी | |
| 101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज | |
| 10- दि किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेडा एवं किसान सहकारी चीनी मिल लि. पूरनपुर का तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण | |
| 30-निवेश/ऋण | 3500.00 |

सहकारी चीनी मिलों में अल्मोनियम क्लोडिंग (लैगिंग) कार्य

सठियांव एवं रमाला सहकारी चीनी मिल को छोड़कर शेष 22 सहकारी चीनी मिलों में अल्मोनियम क्लोडिंग (लैगिंग) कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 450.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 450.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

11- सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के 22 सहकारी चीनी मिलों के लैगिंग कार्य

30-निवेश/ऋण

450.00

आर्थिक रूप से जर्जर सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मकारों के बकाए का भुगतान

सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल सुल्तानपुर, साथा, घोसी, बिलासपुर एवं पूरनपुर की अलाभप्रद पेराई क्षमता के कारण निरन्तर हो रही हानि के फलस्वरूप आर्थिक रूप से जर्जर सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मकारों के बकाए के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

22- रूग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज

30-निवेश/ऋण

2000.00

चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना

चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

04- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना

30-निवेश/ऋण

5000.00

छाता, जिला-मथुरा की बन्द चीनी मिल में **2500** टी.सी.डी. (**3500** टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) की नई चीनी मिल को-जन प्लान्ट एवं डिस्टिलरी की स्थापना

छाता, जिला-मथुरा की बन्द चीनी मिल में 2500 टी.सी.डी. (3500 टी.सी.डी. तक विस्तारीकरण योग्य) की नई चीनी मिल को-जन प्लान्ट एवं डिस्टिलरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 85.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 85.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | |
| 04- चीनी | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | |
| 12- निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण | |
| 30-निवेश/ऋण | 8500.00 |
| ----- | |

चीनी मिल बुढवल, जिला-बाराबंकी में **5000** टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल, रिफाइन्ड शुगर, को-जन प्लान्ट एवं डिस्टिलरी की स्थापना

चीनी मिल बुढवल, जिला-बाराबंकी में 5000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल, रिफाइन्ड शुगर, को-जन प्लान्ट एवं डिस्टिलरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 85.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 85.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | |
| 04- चीनी | |
| 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | |
| 12- निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण | |
| 30-निवेश/ऋण | 8500.00 |
| ----- | |

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 988.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 988.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2055- पुलिस

109- जिला पुलिस

22- एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

| | |
|--|--------|
| 01-वेतन | 500.00 |
| 02-मजदूरी | 5.00 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 150.00 |
| 04-यात्रा व्यय | 50.00 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 10.00 |
| 06-अन्य भत्ते | 5.00 |
| 08-कार्यालय व्यय | 10.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 5.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 10.00 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 1.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 20.00 |
| 23-गुप्त सेवा व्यय | 50.00 |
| 42-अन्य व्यय | 5.00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 2.00 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 2.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 2.00 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 50.00 |
| 55-मकान किराया भत्ता | 100.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 10.00 |

योग -

988.00

उ.प्र. फारेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट

उ.प्र. फारेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेन्सिक साइंस, लखनऊ में स्थापित होने वाली विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपकरणों एवं केमिकल / ग्लासवेयर / प्लास्टिक वेयर के क्रय के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 2055- पुलिस | |
| 116- न्यायालयिक विज्ञान | |
| 04- यू.पी. स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ फारेन्सिक साइंस लखनऊ | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 100.00 |
| ----- | |

शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण

भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 08- भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता | |
| 0801- पुलिस विभाग के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण | |
| 42-अन्य व्यय | 40000.00 |
| ----- | |

पी.ए.सी. के लिये वाहनों का क्रय

पी.ए.सी. में बी.पी.आर. एण्ड डी. मानक के अनुसार वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 17- राज्य शस्त्र कान्स्टेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 500.00 |
| ----- | |

पी.ए.सी. के लिये वाहनों का क्रय

पी.ए.सी. की अक्रियाशील कम्पनियों के क्रियाशील करने के लिये 24 बस, 72 ट्रक एवं 24 टाटा-207 वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 17- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 1000.00 |
| ----- | |

साईबर क्राइम के नियंत्रण हेतु वाहनों का क्रय

साईबर क्राइम के नवसृजित मुख्यालय / 18 परिक्षेत्रीय साइबर थानों के लिये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 100.00 |
| ----- | |

अभिसूचना मुख्यालय के लिये वाहनों का क्रय

अभिसूचना मुख्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय एवं मण्डलीय कार्यालय के लिये 173 हल्के वाहन, 207 मोटर साइकिल तथा मुख्यालय के लिये 12 मध्यम वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 500.00 |
| ----- | |

कानून व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु वाहनों का क्रय

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ करने तथा अपराध एवं अपराधियों पर त्वरित नियंत्रण के लिये 10 क्यू.आर.टी. एवं 03 फॉरेन्सिक फील्ड के लिये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 2500.00 |

जनपदीय पुलिस (सी.ओ. सर्किल स्तर) के लिये वाहनों का क्रय

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ किये जाने, दंगाइयों एवं अपराधियों पर त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस (सी.ओ. सर्किल स्तर) के लिये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 1000.00 |

एस.टी.एफ. के लिये वाहनों का क्रय

एस.टी.एफ. के लिये 8 वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 153.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 153.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 19- स्पेशल टास्क फोर्स | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 153.00 |

स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (स्पॉट) के लिये वाहनों का क्रय

स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (स्पॉट) के अन्तर्गत ट्रेनिंग सेन्टर, रामपुर में कमाण्डो प्रशिक्षण के लिये 02 टाटा 32 सीटर, 4 टाटा अल्ट्रा, महिन्द्रा स्कार्पियो, 2 टाटा 28 सीटर बस एवं 20 मोटर साइकिल वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 207- राज्य पुलिस | |
| 23- स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 200.00 |

उ.प्र. फारेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट

उ.प्र. फारेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट ऑफ फारेन्सिक साइंस, लखनऊ में स्थापित होने वाली विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपकरणों एवं केमिकल / ग्लासवेयर / प्लास्टिक वेयर के क्रय के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 210- अनुसंधान , शिक्षा और प्रशिक्षण | |
| 03- यू.पी. स्टेट इन्सटीट्यूट आफ फारेन्सिक साइंस लखनऊ | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 300.00 |
| 42-अन्य व्यय | 200.00 |
| | 500.00 |
| योग - | |

मुख्यमंत्री, लोक भवन, विधान सभा एवं सचिवालय के सुरक्षार्थ वाहनों का क्रय

मुख्यमंत्री, लोक भवन, विधान सभा एवं सचिवालय की सुरक्षा सुदृढ किये जाने के लिये 2 महिन्द्रा माक्समैन वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 140.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 140.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--------------------------------|--------|
| 4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 06- सुरक्षा व्यवस्था | |
| 14-मोटर गाड़ियों का क्रय | 140.00 |

विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.)

विशेष अनुसंधान दल (एस.आई.टी.) में विवेचनाओं के सरलीकरण एवं उनके गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये उपकरण यथा - प्रोजेक्टर व स्क्रीन, लेजर प्वाइंट, उच्च क्वालिटी से वायरलेस साउण्ड सिस्टम, बार कोड स्कैनर, क्रोम बुक, एनालिटिक सॉफ्टवेयर आदि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 48.26 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 48.26 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

25- विशेष अनुसंधान दल

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

48.26

भ्रष्टाचार निवारण संगठन

भ्रष्टाचार निवारण संगठन में सूचनाओं के संकलन एवं तैयार करने के लिये अत्याधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

26- भ्रष्टाचार निवारण संगठन

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

50.00

एस.डी.आर.एफ. के लिये वाहनों का क्रय

एस.डी.आर.एफ. के लिये 01 स्टॉफ कार, 24 लाईट व्हेकिल, 33 हेवी व्हेकिल, 3 एम्बुलेंस, 2 डिक्न्टामिनेशन व्हेकिल के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

101- प्राकृतिक आपदाएं

03- एस 0 डी0 आर 0 एफ 0

0302- वाहन, मशीन, सयन्त्र एवं उपकरण आदि का क्रय

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

1000.00

अनुदान संख्या 028

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अभियोजन विभाग हेतु गुप्त सेवा व्यय

अभियोजन विभाग के अधीनस्थ, प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कार्यालयों के लिये गुप्त सेवा व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 5.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|------|
| 2014- न्याय प्रशासन | |
| 114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) | |
| 03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय | |
| 23-गुप्त सेवा व्यय | 5.00 |

जनपद - श्रावस्ती अभियोजन कार्यालय का भवन नवनिर्माण एवं जनपद - बस्ती व प्रतापगढ़ कार्यालय का पुनर्निर्माण

जनपद - श्रावस्ती अभियोजन कार्यालय का भवन नवनिर्माण एवं जनपद - बस्ती व प्रतापगढ़ कार्यालय का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 630.06 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 630.06 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | |
| 03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 630.06 |

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

राजकीय मेडिकल कालेज / स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना

राजकीय मेडिकल कालेज / स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 2.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105- एलोपैथी

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101- राजकीय मेडिकल कालेज / स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.)

42-अन्य व्यय

0.01

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901- राजकीय मेडिकल कालेज / स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज

42-अन्य व्यय

0.01

योग -

0.02

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों का संचालन

पी.पी.पी. मोड के आधार पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 11.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|------|
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | |
| 05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 105- एलोपैथी | |
| 03- शिक्षा | |
| 0311- पी0 पी0 पी0 मोड के आधार पर नर्सिंग व पैरा मेडिकल कालेजों का संचालन | |
| 01-वेतन | 0.01 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 0.01 |
| 06-अन्य भत्ते | 0.01 |
| 08-कार्यालय व्यय | 0.01 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0.01 |
| 29-अनुरक्षण | 0.01 |
| 42-अन्य व्यय | 0.01 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 0.01 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 0.01 |
| 55-मकान किराया भत्ता | 0.01 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 0.01 |
| | 0.11 |
| योग - | |

हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड एवं इनवेस्टिगेशन रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना

पी.एम.एस.एस.वाई. योजना के संचालन हेतु राजकीय मेडिकल कालेज - कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर एवं झाँसी में हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड एवं इनवेस्टिगेशन रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | |
| 05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 105- एलोपैथी | |
| 03- शिक्षा | |
| 0320- पी.एम.एस.एस.वाई. योजना के संचालन हेतु राजकीय मेडिकल काजेज, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर तथा झाँसी में हास्पिटल रिवाल्विंग फण्ड / इनवेस्टिगेशन रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना | |
| 42-अन्य व्यय | 1200.00 |

उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट

उत्तर प्रदेश इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | |
| 05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 105- एलोपैथी | |
| 06- उ.प्र. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 2000.00 |

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों का संचालन

पी.पी.पी. मोड के आधार पर नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेजों के संचालन के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 2.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|------|
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 105- एलोपैथी | |
| 50- पी0 पी0 पी0 मोड के आधार पर नर्सिंग व पैरा मेडिकल कालेजों का संचालन | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 0.01 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 0.01 |

योग -

0.02

नर्सिंग कालेजों की स्थापना

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या, बस्ती, बहराईच, फिरोजाबाद तथा शाहजहाँपुर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण तथा उपकरण क्रय के लिये प्रति कालेज रुपये 5.20 करोड़ की दर से दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 26.00 करोड़ की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 26.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 105- एलोपैथी | |
| 58- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2500.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 100.00 |

योग -

2600.00

राजकीय मेडिकल कालेज / स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना

राजकीय मेडिकल कालेज / स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज की स्थापना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 2.00 हजार की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105- एलोपैथी

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0128- राजकीय मेडिकल कालेज / स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.)

42-अन्य व्यय

0.01

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8928- राजकीय मेडिकल कालेज / स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज

42-अन्य व्यय

0.01

योग -

0.02

अनुदान संख्या 035
चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना

परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण / जटिलता / मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 4.20 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 4.20 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2211- परिवार कल्याण | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 11- परिवार नियोजन इण्डेमिनिटी योजना | |
| 42-अन्य व्यय | 420.00 |
| ----- | |

ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र का पुनर्निर्माण

ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र जनपद लखनऊ, बहराईच व देवरिया के प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 3220.17 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 3220.17 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों का पुनःनिर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 3220.17 |
| ----- | |

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

नगर पालिका परिषद्, मऊ के अन्तर्गत शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण

नगर पालिका परिषद्, मऊ के अन्तर्गत शहीदों की स्मृति में सभागार के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 2217- शहरी विकास | |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 08- नगर पालिका परिषद्, मऊ जनपद-मऊ में स्वतंत्रता सेनानियों / शहीदों की स्मृति में सभागार का निर्माण | |
| 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 1500.00 |

प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के लिये अनुदान

प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों यथा - चित्रकूट, विन्ध्यांचल, नैमिषारण्य, कुशीनगर, श्रावस्ती, देवीपाटन आदि में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं (पेयजल, सीवरेज, जल निकासी, सड़क, पथ-प्रकाश, सौन्दर्यीकरण आदि) की समुचित व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 2217- शहरी विकास | |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 11- प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान | |
| 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 5000.00 |

आकांक्षी नगर योजना

प्रदेश की नगर निकायों में सबसे पिछड़े 100 नगर निकायों को आकांक्षी नगर निकाय के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण एवं विकास के लिये प्रारम्भ की जा रही "आकांक्षी नगर योजना" के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 2217- शहरी विकास | |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 12- आकांक्षी नगर योजना | |
| 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान | 10000.00 |

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

फेमिली आई.डी. - "एक परिवार एक पहचान"

शासन द्वारा प्रदेश के अध्यासित समस्त परिवारों को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने एवं योजनाओं के पारदर्शी कार्यान्वयन के लिये फेमिली आई.डी. - "एक परिवार एक पहचान" प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे लाभार्थीपरक योजनाओं का डाटाबेस तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पात्र परिवारों को उनसे सम्बन्धित योजनाओं का लाभ मिल सके। अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 220.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 220.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

03- "फैमिली आई 0 डी0 - एक परिवार एक पहचान "

42-अन्य व्यय

220.00

ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल

ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 344.38 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 344.38 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें

092- अन्य कार्यालय

08- ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल

| | |
|--|--------|
| 01-वेतन | 186.88 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 50.00 |
| 04-यात्रा व्यय | 2.00 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 10.00 |
| 06-अन्य भत्ते | 10.00 |
| 08-कार्यालय व्यय | 10.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 5.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 5.00 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0.50 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 20.00 |
| 42-अन्य व्यय | 5.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 10.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 5.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 25.00 |

योग -

344.38

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण एवं अन्य सर्वेक्षण कार्य के लिये टैबलेट का क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 96.25 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 96.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|-------|
| 3454- जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | |
| 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | |
| 001- निदेशन तथा प्रशासन | |
| 03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय | |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 96.25 |

ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल

ई.पी.सी. मोड के अन्तर्गत परियोजना के लिये तैयार की जाने वाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आंगणन के भुगतान एवं परियोजना के डी.पी.आर. तैयार किये जाने से लेकर परियोजना के क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग हेतु गठित तकनीकी सेल के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 07- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु | |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1000.00 |

त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, मलजल, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, वनीकरण, अधिवक्ता चैम्बर निर्माण आदि कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य भवन | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 02- तकनीकी शिक्षा | |
| 104- बहुशिल्प | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |

| | | |
|-------|---|----------|
| 4215- | जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | |
| | 01- जलपूर्ति | |
| | 101- शहरी जल पूर्ति | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| | 102- ग्रामीण जल पूर्ति | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| | 02- मल-जल तथा सफाई | |
| | 101- शहरी सफाई सेवाएं | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10000.00 |
| | 106- मल-जल सेवाएं | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |
| 4250- | अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| | 203- रोजगार | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 4406- | वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | |
| | 01- वानिकी | |
| | 102- समाज तथा फार्म वानिकी | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | वनीकरण कार्यक्रम | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 4702- | लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | |
| | 800- अन्य व्यय | |
| | 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- | लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| | 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |

| | |
|--|-----------|
| 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 05- संचरण तथा वितरण | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 06- ग्रामीण विद्युतीकरण | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10.00 |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10000.00 |
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 101- पुल | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0302- नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 20000.00 |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 03- त्वरित आर्थिक विकास योजना | |
| 0301- ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 60000.00 |
| 0302- शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 33900.00 |
| | 93900.00 |
| योग - | |
| | 150000.00 |

क्रिटिकल गैप योजनान्तर्गत आकांक्षात्मक ब्लकों को प्रोत्साहन

जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता के दृष्टिगत विभिन्न विकास कार्यों में क्रिटिकल गैप की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 06- आकांक्षात्मक ब्लकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |
| ----- | |

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 40000.00 |
| ----- | |

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 30000.00 |
| ----- | |

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में वाहनों का क्रय

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के दो शासकीय वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 16.88 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 16.88 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

112- सांख्यिकीय

03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

16.88

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

बस स्टेशनों का निर्माण, बस स्टेशनों का उच्चीकरण / आधुनिकीकरण, डिपो कार्यशालाओं का उच्चीकरण / आधुनिकीकरण के लिये उ.प्र.रा.स.प.नि. में अंशपूँजी विनियोजन

बस स्टेशनों का निर्माण, बस स्टेशनों का उच्चीकरण / आधुनिकीकरण, डिपो कार्यशालाओं का उच्चीकरण / आधुनिकीकरण के लिये उ.प्र.रा.स.प.नि. में अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन

30-निवेश/ऋण

10000.00

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस फ्लीट हेतु 1,000 बसों का क्रय

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस फ्लीट हेतु 1,000 बसों के क्रय के लिये अंशपूँजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन

30-निवेश/ऋण

40000.00

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

युवा पर्यटन क्लब की स्थापना

युवाओं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने तथा देश की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के शासकीय एवं गैर शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में "युवा पर्यटन क्लब" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3452- पर्यटन

80- सामान्य

104- संवर्धन तथा प्रचार

10- "युवा पर्यटन क्लब " की स्थापना

42-अन्य व्यय

200.00

अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट्स का आयोजन

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट्स के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3452- पर्यटन

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

08- अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मेगा इवेन्ट्स का आयोजन

42-अन्य व्यय

500.00

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद्

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद् के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3452- पर्यटन

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

19- श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद्

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

150.00

योग -

250.00

उ.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ

उ.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 3452- पर्यटन | |
| 80- सामान्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 20- उ.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 200.00 |
| 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 50.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 250.00 |
| | <hr/> |

प्रयागराज का समेकित विकास

प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 40.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | |
| 11- प्रयागराज का समेकित विकास | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 4000.00 |

शुक्रतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास

शुक्रतीर्थ धाम के समेकित पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | |
| 12- शुक्रतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |

बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास

बुन्देलखण्ड के समेकित पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | |
| 14- बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 4000.00 |
| ----- | |

बौद्ध परिपथ का समेकित पर्यटन विकास

बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | |
| 22- बौद्ध परिपथ का समेकित पर्यटन विकास | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 4000.00 |
| ----- | |

शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर का समेकित पर्यटन विकास

शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर, जसमोर-सहारनपुर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 104- संवर्धन तथा प्रचार | |
| 26- शक्तिपीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर का समेकित पर्यटन विकास | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| ----- | |

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा में कक्षाओं का संचालन

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा में कक्षाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2203- तकनीकी शिक्षा

112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

31- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

100.00

योग -

150.00

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती में कक्षाओं का संचालन

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती में कक्षाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2203- तकनीकी शिक्षा

112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

32- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

100.00

योग -

150.00

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़ में कक्षाओं का संचालन

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़ में कक्षाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2203- तकनीकी शिक्षा

112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

33- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, प्रतापगढ़

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

50.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

100.00

योग -

150.00

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर में कक्षाओं का संचालन

राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर में कक्षाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2203- तकनीकी शिक्षा | |
| 112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान | |
| 34- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, मिर्जापुर | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 50.00 |
| 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 100.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 150.00 |
| | <hr/> |

प्राविधिक विश्वविद्यालयों और अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण

प्राविधिक विश्वविद्यालयों और अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|---|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- तकनीकी शिक्षा | |
| 105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान | |
| 21- प्राविधिक विश्वविद्यालयों / अभियंत्रण संस्थाओं के पूर्व से निर्मित भवनों का जीर्णोद्धार | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 200.00 |

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर में नवीन छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष एवं प्रयोगशाला का भवन निर्माण

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर में नवीन छात्रावास, प्रशिक्षण कक्ष एवं प्रयोगशाला के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- तकनीकी शिक्षा | |
| 105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान | |
| 22- शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में नवीन छात्रावास / प्रशिक्षण कक्ष तथा प्रयोगशाला | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु जनपद - रायबरेली में मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत 100 की क्षमता का एक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की स्थापना

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी देख-रेख, उपचार, शिक्षण-प्रशिक्षण, विकास, पुनर्वासन एवं समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास विकसित करने के लिये जनपद - रायबरेली में 100 की क्षमता का एक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 72.99 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 72.99 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0114- किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40 के.+रा.)

61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण

43.79

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8914- किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन

61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण

29.20

योग -

72.99

जनपद - गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी एवं कानपुर नगर में 100 की क्षमता के एक-एक राजकीय बाल गृह (बालिका) की स्थापना

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, उनकी देख-रेख, उपचार, शिक्षण-प्रशिक्षण, विकास, पुनर्वासन एवं समाज की मुखयधारा में जोड़ने के उद्देश्य से बच्चों को शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास विकसित करने के लिये जनपद - गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी एवं कानपुर नगर में 100 की क्षमता का एक-एक राजकीय सम्प्रेक्षण गृह की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 218.97 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 218.97 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0114- किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के..60/रा.40 के.+रा.)

61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण

131.38

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8914- किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन

61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण

87.59

योग -

218.97

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों द्वारा टी.एच.आर. (टेक होम राशन)

उत्पादन लागत के लिये **Gap funding**

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में टेक होम राशन के उत्पादन एवं वितरण के लिये पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों की स्थापना करते हुये पुष्टाहार उत्पादन एवं वितरण किया जा रहा है । आजीविका मिशन द्वारा पुष्टाहार उत्पादन हेतु भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के अतिरिक्त राज्य पोषित योजना में धनराशि का पोषण राज्य सरकार किया जाना है । अतः उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों द्वारा टी.एच.आर. (टेक होम राशन) उत्पादन लागत के लिये **Gap funding** हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 291.48 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 291.48 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

17- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाईयों द्वारा टी0 एच 0 आर 0 उत्पादन लागत

43-सामग्री एवं सम्पूति

29148.00

वृन्दावन, जनपद - मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन का संचालन

वृन्दावन, जनपद - मथुरा में निराश्रित महिलाओं के लिये 1000 क्षमता के कृष्ण कुटीर आश्रय सदन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 158.25 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 158.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

103- महिला कल्याण

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105- वृन्दावन में निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 क्षमता के सदन का संचालन (के.100/रा.0-के.)

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

158.25

विभागीय संस्थाओं एवं गृहों के लघु निर्माण कार्य

विभिन्न जनपदों में संचालित राजकीय सम्प्रेक्षण गृहों में विभागीय संस्थाओं एवं गृहों के लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02- समाज कल्याण

103- महिला कल्याण

06- विभागीय संस्थाओं / गृहों का निर्माण

25-लघु निर्माण कार्य

500.00

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

102- बाल कल्याण

07- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा

42-अन्य व्यय

2500.00

अनुदान संख्या 051

राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

कोविड - 19 महामारी के दौरान परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आकस्मिक बस सेवा के देयकों की बकाया धनराशि का भुगतान

कोविड - 19 महामारी के दौरान परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आकस्मिक बस सेवा के देयकों की बकाया धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 348.89 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 348.89 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

05- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800- अन्य व्यय

06- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

0611- स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

42-अन्य व्यय

34889.00

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामों में से ऐसे ग्रामों, जो वर्तमान में किसी नगर निकाय क्षेत्र (नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत) में सम्मिलित किये गये हैं, में भी आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य को जारी रखे जाने के सम्बन्ध में प्रश्रुगत क्षेत्रों में आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया में होने वाले सम्भावित व्यय की आवश्यकता हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2029- भू-राजस्व

103- भू-अभिलेख

08- स्वामित्व योजना

42-अन्य व्यय

1.00

राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, हरदोई के अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाना

राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, हरदोई के अधूरे तीन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 206.15 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 206.15 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

07- राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भू-लेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराया जाना

24-वृहत् निर्माण कार्य

206.15

अनुदान संख्या 055
लोक निर्माण विभाग (भवन)

कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 240.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 240.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- कार्यालय भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 06- निर्माण - लोक निर्माण | |
| 0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 240.00 |
| ----- | |

कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 320.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 320.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- कार्यालय भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 06- निर्माण - लोक निर्माण | |
| 0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 320.00 |
| ----- | |

शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन

शासकीय भवनों के डी.पी.आर. गठन हेतु मृदा एवं अन्य तकनीकी परीक्षण, स्थलीय सर्वेक्षण, संरचना परिकल्पना, ड्राइंग तैयार करने एवं आवश्यकता वाह्य विशेषज्ञों / परामर्शियों का चयन, निविदा सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 05- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु | |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1.00 |
| ----- | |

अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन / सुदृढीकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 535.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 535.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 60- अन्य भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 06- अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण के नये कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 535.00 |

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 140.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 140.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 051- निर्माण | |
| 11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 140.00 |

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 27.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 27.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 051- निर्माण | |
| 18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2700.00 |

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 320.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 320.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 051- निर्माण | |
| 20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 320.00 |

अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना एवं वर्तमान ट्रांजिट हास्टलों का विस्तार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 160.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 160.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 051- निर्माण | |
| 22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 160.00 |

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 160.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 160.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- सामान्य | |
| 051- निर्माण | |
| 25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 160.00 |

आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य

50.00

दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

प्रदेश के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य

50.00

जनपदों में पूल आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 110.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 110.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

106- साधारण पूल आवास

03- निर्माण - लोक निर्माण

0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल आवासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

110.00

आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 430.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 430.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

430.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में कतिपय लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 85.00 लाख की आवश्यकता है |

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 85.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0538- राजभवन, लखनऊ

25-लघु निर्माण कार्य

मतदेय

0.00

भारित

85.0

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 315.16 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 315.16 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|--------------------------------------|----------|
| 5054- | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- | जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 101- | पुल | |
| 04- | सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर) | |
| 0403- | ग्रामीण सेतुओं का निर्माण | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 31516.00 |

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 354.55 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 354.55 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|----------|
| 5054- | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- | जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 101- | पुल | |
| 05- | रेलवे उपरिगामी सेतु | |
| 0517- | रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 35455.00 |

केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. का निर्माण

केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 350.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|----------|
| 5054- | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- | जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 101- | पुल | |
| 05- | रेलवे उपरिगामी सेतु | |
| 0518- | केन्द्रीय मार्ग आधारभूत संरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) पोषित आर.ओ.बी. / आर.यू.बी. निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 35000.00 |

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 748.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 748.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

74850.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत

राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3054- सड़क तथा सेतु

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

07- राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एवं मरम्मत

29-अनुरक्षण

3000.00

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

03- राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य

0306- राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

50000.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एकमुश्त व्यवस्था

1328- प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

50000.00

तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

प्रदेश के समस्त तहसील / ब्लाक मुख्यालय को पं. दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने के लिये मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एकमुश्त व्यवस्था

1347- प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अर्न्तगत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण कार्य

पी.एम. गति शक्ति के अन्तर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश के इन्डस्ट्रियल पार्क, लॉजिस्टिक पार्क को 04 लेन चौड़े मार्गों से जोड़े जाने का लक्ष्य है, जिससे प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों को गति प्रदान की जा सके एवं उनके निर्बाध मूवमेन्ट के लिये चौड़े मार्ग उपलब्ध हो सके । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एकमुश्त व्यवस्था

1354- औद्योगिक / लाजिस्टिक पार्क हेतु 04 लेन मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण का कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

85- शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

30000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 03- राज्य राजमार्ग | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण | |
| 0301- राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |

इण्डो-नेपाल बार्डर पर कार्य

इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 07- इण्डो नेपाल बार्डर पर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 13- एक मुश्त व्यवस्था | |
| 1330- प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था | |
| 60-भूमि क्रय | 10000.00 |

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1332- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1334- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1335- क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण

चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1355- चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्यों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

25000.00

राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

18- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण /

पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 700.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 700.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)

24-वृहत् निर्माण कार्य

70000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 800.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 86- नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 80000.00 |

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 337- सड़क निर्माण कार्य | |
| 99- पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 10000.00 |

केन्द्रीय मार्ग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य

प्रदेश के मार्गों पर बढ़ते हुये भारी यातायात के दृष्टिगत केन्द्रीय सड़क निधि से महत्वपूर्ण राज्य मार्ग / प्रमुख जिला / अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- केन्द्रीय मार्ग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य | |
| 0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना

विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 310.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 310.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली

गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|--|----------|
| 5054- | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 05- | अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें | |
| 337- | सड़क निर्माण कार्य | |
| 97- | बाह्य सहायतित परियोजनायें | |
| 9702- | विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 31000.00 |

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ.प्र. जिला सड़क परियोजना के नये कार्य

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ.प्र. जिला सड़क परियोजना के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|--------|
| 5054- | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 05- | अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्वकी सड़कें | |
| 337- | सड़क निर्माण कार्य | |
| 97- | बाह्य सहायतित परियोजनायें | |
| 9704- | एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश जिला सड़क परियोजना के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 100.00 |

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 14 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 14 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|--------|
| 5054- | सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 80- | सामान्य | |
| 004- | अनुसंधान | |
| 04- | अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उच्चीकरण | |
| 26- | मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 100.00 |

मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- मूल्य हास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

4000.00

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

5000.00

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

उ.प्र. विधान भवन एवं सचिवालय परिसर का पुनर्विकास

उ.प्र. विधान भवन एवं सचिवालय परिसर का पुनर्विकास किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

06- उत्तर प्रदेश विधान भवन एवं सचिवालय परिसर का पुनर्विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

लखनऊ स्थित महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नये आवासों के निर्माण

लखनऊ स्थित महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नये आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 11.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 11.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0504- राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन श्रेणी-2 व श्रेणी-3 के आवासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1100.00

लखनऊ स्थित पुरानी ड्राइवर कालोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नये आवासों का निर्माण

लखनऊ स्थित पुरानी ड्राइवर कालोनी, डालीबाग में श्रेणी-2 के नये आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 441.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 441.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0504- राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन श्रेणी-2 व श्रेणी-3 के आवासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

441.50

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेण्डेली कार्यालय का निर्माण

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेण्डेली कार्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- कार्यालय भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 05- मुख्यालय स्थित वन विभाग के कार्यालय भवन 'अरण्य भवन' के स्थान पर ग्रीन इको फ्रेण्डेली कार्यालय की निर्माण योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 400.00 |
| 42-अन्य व्यय | 100.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 500.00 |
| | <hr/> |

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में महिला छात्रावास का निर्माण

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सरकारी रिहायशी भवन | |
| 700- अन्य आवास | |
| 05- वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर में महिला छात्रावास का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 95.00 |
| 42-अन्य व्यय | 5.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 100.00 |
| | <hr/> |

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

षष्ठम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) का गठन

षष्ठम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 245.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 245.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

105- विशेष जॉच आयोग

03- षष्ठम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय)

| | |
|--|--------|
| 01-वेतन | 120.00 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 54.00 |
| 04-यात्रा व्यय | 1.00 |
| 06-अन्य भत्ते | 5.00 |
| 07-मानदेय | 1.00 |
| 08-कार्यालय व्यय | 2.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.00 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 1.00 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 25.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 0.50 |
| 42-अन्य व्यय | 0.50 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 2.00 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 2.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 28.00 |

योग -

245.00

अनुदान संख्या 063

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम का विकास एवं क्रियान्वयन

इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम का विकास एवं क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन

097- खजाना स्थापना

04- कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण

0402- इन्टीग्रेटेड ट्रेजरी सिस्टम का विकास एवं क्रियान्वयन

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

500.00

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

2000.00

योग -

2500.00

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

वित्त विभाग में पी.एम.यू. का गठन

तकनीकी दृष्टिकोण, डाटा एनॉलिसिस आदि के कार्यों के लिये वित्त विभाग में पी.एम.यू. के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें

091- संलग्न कार्यालय

04- डाइरेक्ट्रेट आफ फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सिज

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

100.00

वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ के लिये वाहन का क्रय

वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ के लिये वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 14.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 14.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

09- वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय में वाहन क्रय

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

14.00

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101- विधान सभा

04- मा. अध्यक्ष विधान सभा द्वारा विवेकाधीन अनुदान

42-अन्य व्यय

30.00

विधान सभा सचिवालय के पुरुषोत्तम दास टण्डन हॉल से सम्बद्ध कैफेटेरिया को दी जाने वाली प्रबन्धकीय सहायता में वृद्धि

विधान सभा सचिवालय के पुरुषोत्तम दास टण्डन हॉल से सम्बद्ध कैफेटेरिया को दी जाने वाली प्रबन्धकीय सहायता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 5.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101- विधान सभा

05- राज्य सरकार द्वारा सहायता

0501- कैफेटेरिया को सब्सिडी

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

5.00

विधान सभा के माननीय सदस्यों के जीवन परिचय एवं अन्य सूचनाओं के लिये ग्राफिक मानीटर सिस्टम की स्थापना

विधान सभा के माननीय सदस्यों के जीवन परिचय एवं अन्य सूचनाओं के लिये ग्राफिक मानीटर सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 496.08 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 496.08 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

05- विधान सभा

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

496.08

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के उपयोगार्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष एवं संचार प्रणाली की स्थापना

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के उपयोगार्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष एवं संचार प्रणाली की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 255.35 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 255.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

05- विधान सभा

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

255.35

अनुदान संख्या 070
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 45.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 45.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 01- बायो ऊर्जा | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 का क्रियान्वयन | |
| 27-सब्सिडी | 4500.00 |

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के तहत पी.एम. कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों का सोलराइजेशन

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के तहत पी.एम. कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- सौर ऊर्जा नीति - 2022 का क्रियान्वयन | |
| 0501- पीएम कुसुम घटक सी-1 निजी ऑनग्रिड पम्पों के सोलराइजेशन | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 5000.00 |

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत 16 नगर निगम एवं नोएडा सिटी को सोलर सिटी विकसित किए जाने के लिये फण्ड एवं प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत 16 नगर निगम एवं नोएडा सिटी को सोलर सिटी विकसित किए जाने के लिये फण्ड एवं प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- सौर ऊर्जा नीति - 2022 का क्रियान्वयन | |
| 0502- सोलर सिटी विकसित किया जाना | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 4000.00 |

पी.एम. कुसुम योजना घटक सी-2 का क्रियान्वयन

पी.एम. कुसुम योजना घटक सी-2 के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- सौर ऊर्जा नीति - 2022 का क्रियान्वयन | |
| 0503- पीएम कुसुम योजना घटक सी-2 का क्रियान्वयन | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 7500.00 |
| ----- | |

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रशिक्षण (सूर्यमित्र) प्रदान किया जाना

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रशिक्षण (सूर्यमित्र) प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- सौर ऊर्जा नीति - 2022 का क्रियान्वयन | |
| 0504- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत प्रशिक्षण (सूर्य मित्र) | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 1200.00 |
| ----- | |

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 के अन्तर्गत सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.75 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.75 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- सौर ऊर्जा नीति - 2022 का क्रियान्वयन | |
| 0505- सोलर सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अयोध्या शहर का मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकास | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 1575.00 |
| ----- | |

यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पूंजीगत उपादान

यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पूंजीगत उपादान के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 125.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 125.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 05- सौर ऊर्जा नीति - 2022 का क्रियान्वयन | |
| 0506- यूटिलिटी स्केल बैट्री स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु पूंजीगत उपादान | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 12500.00 |
| ----- | |

सोलर रूफटॉप स्टालेशन पर देय दण्ड डी.एस.एम. दिया जाना

सोलर रूफटॉप स्टालेशन पर देय दण्ड डी.एस.एम. दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 07- ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परम्परागत ऊर्जा का प्रोत्साहन | |
| 0705- सोलर रूफटाप स्टालेशन पर देय दण्ड डीएसएम | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 500.00 |
| ----- | |

यूपीनेडा प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट का गठन

यूपीनेडा प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|------|
| 2810- अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत | |
| 60- अन्य | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 09- सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा नीति-2022 तथा अन्य अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट का गठन | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 1.00 |
| ----- | |

जनपद - वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना

जनपद - वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60- अन्य

200- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता

03- राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायक अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

200.00

जनपद - आगरा में साइंस सिटी की स्थापना

जनपद - आगरा में साइंस सिटी की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60- अन्य

200- अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता

03- राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायक अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

200.00

जनपद - वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना

जनपद - वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 13.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

06- जनपद वाराणसी में साइंससिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

1300.00

जनपद - आगरा में साइंस सिटी की स्थापना

जनपद - आगरा में साइंस सिटी की स्थापना के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 13.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 13.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

07- जनपद आगरा में साइंस सिटी की स्थापना

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

1300.00

अनुदान संख्या 071

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय शिक्षण संस्थानों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 283.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 283.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 01- प्रारम्भिक शिक्षा | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | |
| 0110- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 16980.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | |
| 8910- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 11320.00 |
| | 28300.00 |
| योग - | 28300.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय शिक्षण संस्थानों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 122.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 122.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 201- प्रारम्भिक शिक्षा - | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | |
| 0110- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 7320.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8910- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 4880.00 |
| | 12200.00 |
| योग - | 12200.00 |

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 237.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 237.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

201- प्रारम्भिक शिक्षा -

08- चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्टस लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

42-अन्य व्यय

23700.00

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति

स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 02- माध्यमिक शिक्षा | |
| 107- छात्रवृत्तियां | |
| 05- स्ववित्त पोषित विद्यालयों में अध्ययनरत एक अभिभावक की दूसरी पुत्री की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति | |
| 21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन | 500.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 273.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 273.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 02- माध्यमिक शिक्षा | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | |
| 0120- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 16380.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8920- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 10920.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 27300.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 117.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 117.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0120- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 7020.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8920- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 4680.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 11700.00 |
| | <hr/> |

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 237.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 237.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | |
| 08- चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| 42-अन्य व्यय | 23700.00 |

माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नव निर्माण एवं सम्पूर्ण भवन, भवन की छतों एवं सचिव आवास का जीर्णोद्धार

माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नव निर्माण एवं सम्पूर्ण भवन, भवन की छतों एवं सचिव आवास के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 202- माध्यमिक शिक्षा | |
| 11- माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज में नव निर्माण एवं सम्पूर्ण भवन, भवन की छतों का जीर्णोद्धार

माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज में नव निर्माण एवं सम्पूर्ण भवन, भवन की छतों के जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

12- माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

अनुदान संख्या 073
शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना

उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|---|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा | |
| 104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता | |
| 08- सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु सहायता | |
| 0801- उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 100.00 |
| ----- | |

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की स्थापना

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|---|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 21- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु सहायता | |
| 2101- राज्य विश्वविद्यालयों में वाई.फाई. सुविधा | |
| 42-अन्य व्यय | 100.00 |
| ----- | |

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में साहित्यकार एवं इतिहासवेत्ता रांगेय राघव शोध पीठ की स्थापना

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में साहित्यकार एवं इतिहासवेत्ता रांगेय राघव शोध पीठ की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|---|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 22- महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में रांगेय राघव शोधपीठ की स्थापना | |
| 42-अन्य व्यय | 200.00 |
| ----- | |

मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना

डिप्लोमा एवं स्नातक डिग्री धारक प्रशिक्षुओं के लिये मुख्यमंत्री शिक्षता प्रोत्साहन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 23- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना | |
| 42-अन्य व्यय | 10000.00 |

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये "स्किल हब" की स्थापना

छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये "स्किल हब" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | |
| 03- राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्किल हब की स्थापना | |
| 42-अन्य व्यय | 1.00 |

ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना

भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|----------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | |
| 18- चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| 42-अन्य व्यय | 30000.00 |

प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के लिये सहायता

शिक्षण संस्थाओं को इकोग्रीन पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के लिये सहायता दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | |
| 20- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु सहायता | |
| 2001- राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्फटॉप सोलर सिस्टम | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 500.00 |

विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना

विन्ध्यांचल मण्डल एवं आस-पास के जनपदों के छात्र-छात्राओं को बेहतर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिये विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | |
| 21- विन्ध्यांचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |

मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना

मुरादाबाद मण्डल एवं आस-पास के जनपदों के छात्र-छात्राओं को बेहतर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिये मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा | |
| 22- मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |

देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना

देवीपाटन मण्डल एवं आस-पास के जनपदों के छात्र-छात्राओं को बेहतर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिये देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

23- देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्ड्स)

आवासीय भवनों का निर्माण

होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ के परिसर में टाईप-ए एवं टाईप-बी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 03- आवासीय भवनों का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |

होमगार्ड्स विभाग में आवासीय भवनों का निर्माण

जनपद - लखनऊ में होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ परिसर में बैरक / हॉस्टल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- अनावसीय भवनों का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |

अनावसीय भवनों का निर्माण

जनपद - बरेली, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में निर्मित जिला होमगार्ड्स कार्यालय के प्रथम तल पर मण्डलीय होमगार्ड्स कार्यालय, जनपद - औरैया, ललितपुर, शामली, महाराजगंज, हापुड, सुल्तानपुर, अमेठी, कौशाम्बी, संतकबीर नगर, सम्भल में जनपदीय कार्यालय तथा जनपद - कानपुर नगर, बाँदा एवं वाराणसी में जनपदीय एवं मण्डलीय कार्यालय के अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 04- अनावसीय भवनों का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

जनपद - आजमगढ एवं गोरखपुर में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद - आजमगढ एवं गोरखपुर में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

08- मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 1385.57 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 1385.57 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

201- प्रारम्भिक शिक्षा -

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0111- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना (के.60/रा.40-के.)

24-वृहत् निर्माण कार्य

831.34

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8911- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

554.23

योग -

1385.57

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अटल आवासीय विद्यालयों में अनाथ बच्चों के प्रवेश शुल्क हेतु

अटल आवासीय विद्यालयों में अनाथ बच्चों के प्रवेश शुल्क हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 144.25 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 144.25 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01- श्रम

111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा

10- अटल आवासीय विद्यालयों में अनाथ बच्चों के प्रवेश शुल्क हेतु

42-अन्य व्यय

144.25

अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बालक / बालिकाओं एवं प्रदेश के अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा - फर्नीचर, मेस / कैन्टीन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेन्ट, लीजलाइन, सी.सी.टी.वी एवं पी.ए. सिस्टम, प्रयोगशाला उत्पाद / उपकरण / पुस्तकालय इत्यादि, गेम्स उपकरण इत्यादि, आई.टी. उपकरण, फर्निशिंग एवं अन्य सामग्री, के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 4999.31 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 4999.31 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

03- अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना

42-अन्य व्यय

4999.31

अनुदान संख्या 077

श्रम विभाग (सेवायोजन)

सेवामित्र पोर्टल का संचालन एवं विकास तथा कॉलसेन्टर का संचालन

प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पंजीकृत कौशल प्राप्त अभ्यर्थियों (यथा - इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर) के द्वारा नागरिकों को सेवाये प्रदान किये जाने के लिये सेवामित्र पोर्टल के संचालन एवं विकास तथा कॉलसेन्टर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास | |
| 02- रोजगार सेवाएं | |
| 001- निदेशन और प्रशासन | |
| 03- रोजगार निदेशालय | |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 3.00 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 197.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 200.00 |
| | <hr/> |

जिला सेवायोजन कार्यालय, शामली का भवन निर्माण

जिला सेवायोजन कार्यालय, शामली के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 121.74 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 121.74 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 203- रोजगार | |
| 03- जिला सेवा योजन कार्यालय, शामली | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 121.74 |

जिला सेवायोजन कार्यालय, बदायूं का भवन निर्माण

जिला सेवायोजन कार्यालय, बदायूं के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 75.52 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 75.52 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 203- रोजगार | |
| 04- जिला सेवा योजन कार्यालय, बदायूं | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 75.52 |

अनुदान संख्या 078
सचिवालय प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष

गम्भीर रूप से पीड़ित तथा आपदा से ग्रसित लोगों की सहायता के लिये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की सीमा में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 162.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 162.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2013- मंत्रि परिषद् | |
| 105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान | |
| 03- मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान | |
| 42-अन्य व्यय | 16200.00 |
| ----- | |

मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, उत्तर प्रदेश का संचालन

मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कंट्रोल सेन्टर, उत्तर प्रदेश के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें | |
| 090- सचिवालय | |
| 06- मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर का संचालन | |
| 08-कार्यालय व्यय | 10.00 |
| 09-विद्युत देय | 10.00 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 15.00 |
| 42-अन्य व्यय | 220.00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 30.00 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 285.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 30.00 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 400.00 |
| | 1000.00 |
| योग - | 1000.00 |
| ----- | |

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अन्य पिछड़ा वर्ग के आवासीय सुविधा के लिये संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण

अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन छात्र / छात्राओं को उनकी उच्च स्तर की शिक्षा बाधित न हो, इसलिये उनको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवासीय सुविधा के लिये संचालित छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 125.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 125.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | |
| 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण | |
| 277- शिक्षा | |
| 06- पिछड़े वर्ग हेतु संचालित छात्रावासों का अनुरक्षण | |
| 29-अनुरक्षण | 125.00 |

दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र का संचालन

दिव्यांगता के क्षेत्र में शोध एवं विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में तैनात प्रशिक्षकों को सेवा दौरान प्रशिक्षण प्रदान किये जाने और दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये जाने आदि के लिये दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | |
| 02- समाज कल्याण | |
| 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | |
| 28- दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र का संचालन | |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 100.00 |

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में नवनिर्मित विशिष्ट स्टेडियम का संचालन

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में नवनिर्मित विशिष्ट स्टेडियम के संचालन से सम्बन्धी नैतिक कार्यो यथा - कार्यालय व्यय, विद्युत व्यवस्था, साफ-सफाई, खेलकूद सामग्री, विभिन्न प्रकरण के आवश्यक उपकरणों का क्रय, सेवा प्रदाता एजेन्सी का भुगतान, आवश्यक लेखन सामग्री आदि के कार्यो के साथ-साथ अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | |
| 02- समाज कल्याण | |
| 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | |
| 30- डा. शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 100.00 |

राजकीय ब्रेल प्रेस, लखनऊ में नवीन ब्रेल प्रेस की स्थापना

राजकीय ब्रेल प्रेस, लखनऊ में नवीन ब्रेल प्रेस की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- समाज कल्याण | |
| 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | |
| 10- ब्रेल प्रेस, लखनऊ | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 100.00 |

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक अतिरिक्त महिला छात्रावास का निर्माण

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में 500 छात्राओं के लिये एक अतिरिक्त महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- समाज कल्याण | |
| 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | |
| 19- डा. शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 200.00 |

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- समाज कल्याण | |
| 101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | |
| 19- डा. शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 200.00 |

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यो और सेवाओं को एकीकृत करके भविष्य की महामारियों को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना है। अतः प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 18.46 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 18.46 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2211- परिवार कल्याण | |
| 796- जनजाति क्षेत्र उपयोगना | |
| 03- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी.एम.-ए.बी.एच.आई.एम) | |
| 0302- चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.) | |
| 42-अन्य व्यय | 1108.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8903- प्रधानमंत्री आयुष्मान मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों का सुदृढीकरण | |
| 42-अन्य व्यय | 738.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 1846.00 |
| | <hr/> |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय शिक्षण संस्थानों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 700.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 700.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 01- प्रारम्भिक शिक्षा | |
| 796- जनजातीय उपयोगना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0112- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 420.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8912- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 280.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 700.00 |
| | <hr/> |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय शिक्षण संस्थानों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0112- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 180.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8912- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 120.00 |
| | 300.00 |
| योग - | |

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 19.24 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 19.24 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|-------|
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0111- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं अनुश्रवण सेल की स्थापना (के.60/रा.40-के.) | |
| 42-अन्य व्यय | 11.54 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8911- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं अनुश्रवण सेल की स्थापना | |
| 42-अन्य व्यय | 7.70 |
| | 19.24 |
| योग - | |

एकीकृत जनजाति परियोजना, खीरी

एकीकृत जनजाति परियोजना खीरी के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में परियोजनाओं के संचालन के लिये नवीन नियुक्ति / स्थानान्तरित कार्मिकों के एन.पी.एस. के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान के लिये अधिष्ठान के विभिन्न मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 190.56 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 190.56 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|-------|
| 2225- | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | |
| 02- | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 05- | एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन | |
| 01- | वेतन | 70.00 |
| 02- | मजदूरी | 5.00 |
| 03- | मंहगाई भत्ता | 24.50 |
| 04- | यात्रा व्यय | 1.00 |
| 05- | स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0.25 |
| 08- | कार्यालय व्यय | 2.00 |
| 10- | जलकर / जल प्रभार | 0.50 |
| 11- | लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1.00 |
| 12- | कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2.00 |
| 13- | टेलीफोन पर व्यय | 0.20 |
| 15- | गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 4.00 |
| 16- | व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1.00 |
| 18- | प्रकाशन | 1.00 |
| 19- | विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 1.00 |
| 20- | सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 15.00 |
| 26- | मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | 1.00 |
| 29- | अनुरक्षण | 4.00 |
| 31- | सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 15.26 |
| 42- | अन्य व्यय | 5.00 |
| 44- | प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1.50 |
| 45- | अवकाश यात्रा व्यय | 0.50 |
| 46- | कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 2.00 |
| 47- | कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 1.50 |
| 49- | चिकित्सा व्यय | 1.00 |
| 51- | वर्दी व्यय | 0.10 |
| 55- | मकान किराया भत्ता | 0.25 |
| 58- | आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 30.00 |

योग -

190.56

थारू विकास परियोजना, बलरामपुर

थारू विकास परियोजना, बलरामपुर के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में परियोजनाओं के संचालन के लिये नवीन नियुक्ति / स्थानान्तरित कार्मिकों के एन.पी.एस. के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान के लिये अधिष्ठान के विभिन्न मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 141.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 141.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|-------|
| 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | |
| 02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 05- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन | |
| 01-वेतन | 62.00 |
| 02-मजदूरी | 5.00 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 22.50 |
| 04-यात्रा व्यय | 2.00 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0.25 |
| 06-अन्य भत्ते | 0.10 |
| 07-मानदेय | 0.10 |
| 08-कार्यालय व्यय | 2.00 |
| 10-जलकर / जल प्रभार | 0.05 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 1.00 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 2.00 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 0.10 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 4.00 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1.00 |
| 17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 0.20 |
| 18-प्रकाशन | 1.50 |
| 19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.50 |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 3.50 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 2.00 |
| 29-अनुरक्षण | 3.00 |
| 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 3.00 |
| 42-अन्य व्यय | 2.00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 0.25 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 0.25 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 2.00 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 1.00 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 1.00 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| 55-मकान किराया भत्ता | 0.20 |
| 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 19.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 141.50 |
| | <hr/> |

आदिम जनजाति परियोजना

आदिम जनजाति परियोजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में परियोजनाओं के संचालन के लिये नवीन नियुक्ति / स्थानान्तरित कार्मिकों के एन.पी.एस. के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान के लिये अधिष्ठान के विभिन्न मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 33.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 33.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|------|
| 2225- | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | |
| 02- | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 05- | एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन | |
| 01- | वेतन | 7.00 |
| 02- | मजदूरी | 1.00 |
| 03- | मंहगाई भत्ता | 2.40 |
| 04- | यात्रा व्यय | 1.00 |
| 05- | स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0.30 |
| 06- | अन्य भत्ते | 0.10 |
| 07- | मानदेय | 0.20 |
| 08- | कार्यालय व्यय | 0.50 |
| 11- | लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0.50 |
| 12- | कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.00 |
| 15- | गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 4.00 |
| 16- | व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1.25 |
| 17- | किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 0.20 |
| 18- | प्रकाशन | 0.20 |
| 19- | विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.20 |
| 20- | सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 1.00 |
| 26- | मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 1.00 |
| 29- | अनुरक्षण | 0.50 |
| 31- | सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 2.50 |
| 42- | अन्य व्यय | 3.50 |
| 44- | प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 0.30 |
| 45- | अवकाश यात्रा व्यय | 0.25 |
| 46- | कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 0.50 |
| 47- | कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 0.50 |
| 49- | चिकित्सा व्यय | 0.25 |
| 51- | वर्दी व्यय | 0.10 |
| 55- | मकान किराया भत्ता | 0.25 |
| 58- | आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 2.50 |

योग -

33.00

बिखरी आबादी वाली जनजातियों के लिये विकास परियोजना

बिखरी आबादी वाली जनजातियों के लिये विकास परियोजना अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में परियोजनाओं के संचालन के लिये नवीन नियुक्ति / स्थानान्तरित कार्मिकों के एन.पी.एस. के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों की देयताओं के भुगतान के लिये अधिष्ठान के विभिन्न मदों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 53.45 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 53.45 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | | |
|-------|---|-------|
| 2225- | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | |
| 02- | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | |
| 796- | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 05- | एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन | |
| 01- | वेतन | 15.00 |
| 02- | मजदूरी | 1.50 |
| 03- | मंहगाई भत्ता | 4.00 |
| 04- | यात्रा व्यय | 1.00 |
| 05- | स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 0.30 |
| 06- | अन्य भत्ते | 0.10 |
| 07- | मानदेय | 0.20 |
| 08- | कार्यालय व्यय | 1.00 |
| 10- | जलकर / जल प्रभार | 0.10 |
| 11- | लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 0.50 |
| 12- | कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1.00 |
| 15- | गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3.00 |
| 16- | व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1.00 |
| 18- | प्रकाशन | 0.50 |
| 19- | विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 0.50 |
| 20- | सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 1.00 |
| 26- | मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | 2.00 |
| 29- | अनुरक्षण | 1.50 |
| 31- | सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 3.35 |
| 42- | अन्य व्यय | 6.00 |
| 44- | प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 0.50 |
| 45- | अवकाश यात्रा व्यय | 0.30 |
| 46- | कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 1.50 |
| 47- | कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 1.00 |
| 49- | चिकित्सा व्यय | 0.50 |
| 51- | वर्दी व्यय | 0.10 |
| 58- | आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 6.00 |

योग -

53.45

जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना

जस्तरतमंद रोगियों के निदान एवं उपचार की समुचित व्यवस्था के लिये 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 166.25 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 166.25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

796- जनजाति क्षेत्र उपयोगना

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101- 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

8975.00

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

1000.00

योग -

9975.00

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901- 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

6000.00

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

650.00

योग -

6650.00

योग -

16625.00

एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि

समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों, संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 55.26 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 55.26 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

| | | |
|--|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | | |
| 796- जनजाति क्षेत्र उपयोजना | | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | | |
| 0102- एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 1544.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | | 1544.00 |
| | योग - | <u>3088.00</u> |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | | |
| 8902- एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 1219.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | | 1219.00 |
| | योग - | <u>2438.00</u> |
| | योग - | <u>5526.00</u> |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 350.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

| | | |
|--|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 2202- सामान्य शिक्षा | | |
| 02- माध्यमिक शिक्षा | | |
| 796- जनजातीय उपयोजना | | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | | |
| 0120- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | | 210.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | | |
| 8920- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | | 140.00 |
| | योग - | <u>350.00</u> |

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 09- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| 42-अन्य व्यय | 600.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0120- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 90.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8920- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 60.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 150.00 |

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|---|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | |
| 08- बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| 42-अन्य व्यय | 600.00 |

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 57.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 57.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 09- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| 42-अन्य व्यय | 5700.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय शिक्षण संस्थानों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 67.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 67.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 01- प्रारम्भिक शिक्षा | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0112- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 4020.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8912- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 2680.00 |

योग -

 6700.00

भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यो और सेवाओं को एकीकृत करके भविष्य की महामारियों को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करना है। अतः प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 46.15 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 46.15 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

| | | |
|--|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 2211- परिवार कल्याण | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | |
| 03- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी.एम.-ए.बी.एच.आई.एम) | | |
| 0301- चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.) | | |
| 42-अन्य व्यय | | 2769.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | | |
| 8903- प्रधानमंत्री आयुष्मान मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों का सुदृढीकरण | | |
| 42-अन्य व्यय | | <u>1846.00</u> |
| | योग - | <u>4615.00</u> |

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिये उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं विशेष सेल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 519.59 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 519.59 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

| | | |
|---|-------|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | | |
| 01- सामान्य शिक्षा | | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | | |
| 0111- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं अनुश्रवण सेल की स्थापना (के.60/रा.40-के.) | | |
| 42-अन्य व्यय | | 311.75 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | | |
| 8911- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों हेतु उपकरण क्रय तथा टैक्नोलॉजी सपोर्ट एवं अनुश्रवण सेल की स्थापना | | |
| 42-अन्य व्यय | | <u>207.84</u> |
| | योग - | <u>519.59</u> |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शासकीय शिक्षण संस्थानों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 28.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 28.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | | |
|--|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 4202- | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 01- | सामान्य शिक्षा | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 01- | केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0112- | पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 1680.00 |
| 89- | केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8912- | पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 1120.00 |
| | योग - | <u>2800.00</u> |

जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना

जस्तरतमंद रोगियों के निदान एवं उपचार की समुचित व्यवस्था के लिये 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 470.14 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 470.14 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | | |
|--|---|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | | (रुपये लाख में) |
| 4210- | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | |
| 03- | चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 789- | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 01- | केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0101- | 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 25209.00 |
| 26- | मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | 3000.00 |
| | योग - | <u>28209.00</u> |
| 89- | केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8901- | 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना | |
| 24- | वृहत् निर्माण कार्य | 16805.00 |
| 26- | मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र | 2000.00 |
| | योग - | <u>18805.00</u> |
| | योग - | <u>47014.00</u> |

एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि

समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों, संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 156.32 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 156.32 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0102- एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 4368.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 4368.00 |
| | 8736.00 |
| | योग - |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8902- एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों में वृद्धि | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 3448.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 3448.00 |
| | 6896.00 |
| | योग - |
| | 15632.00 |

संत रविदास मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असेवित जनपदों में अनुसूचित जाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण

संत रविदास मिशन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के असेवित जनपदों में अनुसूचित जाति के बालकों एवं बालिकाओं के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4225- अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- अनुसूचित जातियों का कल्याण | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 04- संत रविदास मिशन योजना के अन्तर्गत असेवित जनपदों में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनायें

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 125.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 125.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- पिछड़े क्षेत्र | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 12500.00 |

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनायें

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 02- पिछड़े क्षेत्र | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 7500.00 |

राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्य

राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 135.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 135.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 03- राज्य राजमार्ग | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 13500.00 |

राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य

राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 135.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 135.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

13500.00

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 95.45 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 95.45 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

19- रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

9545.00

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 84.84 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 84.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य

8484.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 201.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 201.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|----------|
| 5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- जिला तथा अन्य सड़कें | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 21- नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 20150.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 73.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 73.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 2202- सामान्य शिक्षा | |
| 02- माध्यमिक शिक्षा | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | |
| 0120- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 4410.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8920- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 2940.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 7350.00 |
| | <hr/> |

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 57.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 57.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 08- बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चिल्ड्रेन एण्ड एडोलसेन्ट्स लाइब्रेरी एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर | |
| 42-अन्य व्यय | 5700.00 |

पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना के संचालन के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 31.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 31.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- सामान्य शिक्षा | |
| 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0120- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना (के.60/रा.40-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1890.00 |
| 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश | |
| 8920- पी.एम. श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फार राइजिंग इण्डिया) योजना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1260.00 |
| | योग - |
| | 3150.00 |

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय भवन, केन्द्र एवं प्रेस क्लब तथा संकुल का निर्माण

प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय भवन, केन्द्र एवं प्रेस क्लब तथा संकुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

05- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला सूचना कार्यालय भवन / केन्द्र एवं प्रेस क्लब तथा संकुल का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1500.00

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

भातरखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय

भातरखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते दिये जाने तथा शैक्षणिक विकास एवं आधारभूत सेवाओं के लिये गैर वेतन मद में व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2205- कला एवं संस्कृति | |
| 101- ललित कला शिक्षा | |
| 18- भातरखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 630.00 |
| 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 370.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 1000.00 |
| | <hr/> |

बिरजू महाराज कथक संस्थान

बिरजू महाराज कथक संस्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 160.84 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 160.84 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2205- कला एवं संस्कृति | |
| 101- ललित कला शिक्षा | |
| 19- बिरजू महाराज कथक संस्थान | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 110.00 |
| 31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) | 50.84 |
| | <hr/> |
| योग - | 160.84 |
| | <hr/> |

जनपद - आजमगढ़ में हरिऔध कला भवन का रख-रखाव

जनपद - आजमगढ़ में हरिऔध कला भवन के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 55.37 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 55.37 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

| | |
|--|-------------------|
| 2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - | (रुपये लाख में) |
| 2205- कला एवं संस्कृति | |
| 101- ललित कला शिक्षा | |
| 24- हरिऔध कला भवन, आजमगढ़ | |
| 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 55.37 |
| | <hr/> |

जनपद - आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का रख-रखाव

जनपद - आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 156.56 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 156.56 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

101- ललित कला शिक्षा

25- संगीत महाविद्यालय, हरिहरपुर-आजमगढ

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

156.56

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय (भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय), लखनऊ के सेवानिवृत्ति शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय (भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय), लखनऊ के सेवानिवृत्ति शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों के सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 422.39 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 422.39 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

03- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के दिनांक 18.04.2001 के पूर्व के कर्मियों के सेवानिवृत्तिक देयों हेतु पेंशनरी अंशदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

422.39

जनपद - आजमगढ में हरिहरपुर कजरी महोत्सव

सांस्कृतिक विविधता एवं विशिष्टता को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में कला एवं संस्कृति का महोत्सव किये जाने की शृंखला में जनपद - आजमगढ के हरिहरपुर घराने एवं वहाँ की संगीत धरोहर व पारम्परिक विधा को संरक्षित एवं सर्वर्धित करने तथा उसके प्रचार-प्रसार किये जाने के उद्देश्य से हरिहरपुर कजरी महोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

04- जनपद आजमगढ में हरिहरपुर कजरी महोत्सव

42-अन्य व्यय

50.00

नेपाल सीमा से जुड़े उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों एवं महोत्सवों का आयोजन

नेपाल सीमा से जुड़े उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों एवं महोत्सवों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों / महोत्सवों का आयोजन

42-अन्य व्यय

200.00

जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण

जनपद मैनपुरी के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कराते हुये संग्रहालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- कला तथा संस्कृति | |
| 106- संग्रहालय | |
| 14- जनपद मैनपुरी में संग्रहालय का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

शहीद स्मारकों का निर्माण

स्वतंत्रता के पञ्चात् सभी युद्धों में शहीद हुये सेनानियों की स्मृति में स्मारकों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- कला तथा संस्कृति | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 15- स्वतंत्रता के पञ्चात् युद्धों में शहीद सेनानियों की स्मृति में शहीद स्मारकों का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 100.00 |

संरक्षित स्मारकों / पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास का कार्य

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों / पुरास्थलों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास कराकर उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- कला तथा संस्कृति | |
| 800- अन्य व्यय | |
| 17- स्मारकों का परिरक्षण एवं निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |

भारतेन्दु नाट्य अकादमी के बी.एम.शाह एवं थ्रस्ट प्रेक्षागृहों का जीर्णोद्धार

भारतेन्दु नाट्य अकादमी के बी.एम.शाह एवं थ्रस्ट प्रेक्षागृह तथा प्रथम तल के हाल का जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04- कला तथा संस्कृति

800- अन्य व्यय

18- भारतेन्दु नाट्य अकादमी के प्रेक्षागृहों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

अनुदान संख्या 093

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

इण्डिया-इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल की गम्भीर समस्या में सुधार के लिये "इण्डिया - इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|-------|
| 2702- लघु सिंचाई | |
| 02- भू-जल | |
| 005- अन्वेषण | |
| 09- इण्डिया - इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट | |
| 42-अन्य व्यय | 50.00 |

उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना

उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना के अन्तर्गत जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर वाटर बजटिंग करते हुये अतिदोहित एवं क्रिटिकल 92 विकास खण्डों में वाटर सिक्योरिटी प्लान के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 2702- लघु सिंचाई | |
| 02- भू-जल | |
| 005- अन्वेषण | |
| 10- उत्तर प्रदेश अटल भूजल योजना | |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 2.00 |
| 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 98.00 |
| योग - | 100.00 |

लघु सिंचाई भवन के लिये उपलब्ध भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

गोमती नगर विस्तार लखनऊ में स्थित लघु सिंचाई भवन हेतु उपलब्ध भूमि पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|--------|
| 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- कार्यालय भवन | |
| 051- निर्माण | |
| 03- लघु सिंचाई भवन का निर्माण | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 200.00 |

डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना

वास्तविक भूजल के रियल टाइम ऑकलन प्राप्त करने के लिये "डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

102- भू जल

10- डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना

42-अन्य व्यय

500.00

अनुदान संख्या 094
सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 236.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 236.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- कम्प्यूटरीकरण / नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट कनेक्टिविटी / विडियो कन्फ्रेसिंग / डाटा / सर्वर कमाण्ड सेन्टर / वेब साइटों, पोर्टलो, वेब एप्लीकेशन बेसिन प्लानिंग एवं असेसमेंट का अनुरक्षण मात्र / कार्यालय टी एण्ड पी अनुरक्षण (केन्द्रीय ए.सी. प्लांट / ए.सी./डी.जी. सेट, विविध कार्य आदि का अनुरक्षण)

29-अनुरक्षण

236.00

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 205.43 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 205.43 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|--------|
| 2701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई | |
| 03- बाघला टैंक नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) | |
| 101- रख रखाव एवं मरम्मत | |
| 03- अन्य रख रखाव व्यय | |
| 0301- अनुरक्षण कार्य | |
| 29-अनुरक्षण | 22.29 |
| 04- बछरा बांध नहर (अवाणिज्यिक) | |
| 101- रख रखाव एवं मरम्मत | |
| 03- अन्य रख रखाव व्यय | |
| 0301- अनुरक्षण कार्य | |
| 29-अनुरक्षण | 17.19 |
| 85- गुलरिया नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) | |
| 101- रख-रखाव और मरम्मत | |
| 03- अन्य रख रखाव व्यय | |
| 0301- अनुरक्षण कार्य | |
| 29-अनुरक्षण | 23.19 |
| 86- बेलासागर टैंक नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) | |
| 101- रख-रखाव और मरम्मत | |
| 03- अन्य रख-रखाव व्यय | |
| 0301- अनुरक्षण कार्य | |
| 29-अनुरक्षण | 49.07 |
| 87- पयश्वनी नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) | |
| 101- रख-रखाव और मरम्मत | |
| 03- अन्य रख-रखाव व्यय | |
| 0301- अनुरक्षण कार्य | |
| 29-अनुरक्षण | 11.12 |
| 88- खजुरी नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) | |
| 101- रख-रखाव और मरम्मत | |
| 03- अन्य रख-रखाव व्यय | |
| 0301- अनुरक्षण कार्य | |
| 29-अनुरक्षण | 82.57 |
| | 82.57 |
| कुल योग - | 205.43 |

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 176529.32 लाख की आवश्यकता है |

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में स्पये 176529.32 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(स्पये लाख में)

| | |
|--|----------------|
| 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरे | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 16661.00 |
| 05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरे | |
| 1007- लाइनिंग | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2500.00 |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 3119.37 |
| | योग - 5619.37 |
| 06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरे | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2410.00 |
| 07- आगरा नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरे | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 9540.00 |
| 17- आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नीव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के 1.50 किमी ⁰ डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 100.00 |
| 60-भूमि क्रय | 500.00 |
| | योग - 600.00 |
| | योग - 10140.00 |
| 08- शारदा नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरे | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 9022.00 |
| 09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक) | |

| | |
|--|----------------|
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 19818.00 |
| 10- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- सम्बद्ध कार्य | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 23316.00 |
| 14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 8155.25 |
| 17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 15972.01 |
| 18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 8290.00 |
| 19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 12880.00 |
| | <hr/> |
| | योग - 13880.00 |
| | <hr/> |
| 22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 9917.10 |
| 32- बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 97- बाह्य सहायतित योजनायें | |
| 9703- डैम रिहैबिलिटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (ड्रिप) (70 विस्व बैंक : 30 राज्य) | |

| | |
|--|-----------|
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 13160.00 |
| 36- गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5168.59 |
| 97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 15000.00 |
| | <hr/> |
| कुल योग - | 176529.32 |
| | <hr/> |

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 21038.06 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 21038.06 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 05- घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1006- पुनर्स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1003.29 |
| 06- बेलन नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरे | |
| 1006- पुनर्स्थापना | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1157.01 |
| 15- रोहिल खण्ड नहरें (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 455.98 |
| 19- धसान नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2205.45 |
| 21- कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1008- लाइनिंग | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |
| 26- टोन्स पम्प नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 282.74 |
| 27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1007- लाइनिंग | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |

| | | |
|-------------------------------------|-------|----------------|
| 1014- सम्बद्ध कार्य | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 202.02 |
| | योग - | <u>1202.02</u> |
| 28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 10- नहरें | | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 332.23 |
| 29- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 10- नहरें | | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 1090.83 |
| 32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 10- नहरें | | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 978.40 |
| 33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 10- नहरें | | |
| 1006- पुनर्स्थापना | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 143.22 |
| 1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित) | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 200.00 |
| | योग - | <u>343.22</u> |
| 34- सोन पम्प नहर (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 10- नहरे | | |
| 1006- पुनर्स्थापना | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 584.70 |
| 39- कबरई बांध / नहरें (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 05- बांध | | |
| 0514- सम्बद्ध कार्य | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 1534.50 |
| 55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक) | | |
| 051- निर्माण | | |
| 10- नहरें | | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | | |

| | |
|---|----------|
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 463.93 |
| 59- मौदहा बांध / नहर (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2408.76 |
| 93- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 05- बांध | |
| 0514- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 400.00 |
| 07- बैराज | |
| 0714- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 3095.00 |
| 16- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 500.00 |
| | <hr/> |
| योग - | 3995.00 |
| | <hr/> |
| 97- नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु मुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक) | |
| 051- निर्माण | |
| 10- नहरें | |
| 1014- सम्बद्ध कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2000.00 |
| | <hr/> |
| कुल योग - | 21038.06 |
| | <hr/> |

लघु सिंचाई की परियोजनायें

लघु सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|---|---------|
| 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 101- सतही जल | |
| 03- उठाऊ सिंचाई | |
| 0302- रामजानकी पम्प नहर (क्षमता 20 क्यूसेक) का निर्माण (नाबार्ड पोषित) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 2000.00 |
| 102- भू जल | |
| 03- नलकूप योजनायें | |
| 0303- 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनःनिर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1000.00 |
| | <hr/> |
| कुल योग - | 3000.00 |
| | <hr/> |

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रुपये 56806.24 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में रुपये 56806.24 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

| | |
|--|---------|
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | |
| 01- बाढ़ नियंत्रण | |
| 052- मशीनरी तथा उपस्कर | |
| 03- नवीन सम्पूर्ति | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 600.00 |
| 04- मरम्मत | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 600.00 |
| 05- गाड़ी भाड़ा | |
| 26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 300.00 |
| | योग - |
| | 1500.00 |
| 103- सिविल निर्माण कार्य | |
| 01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ | |
| 0102- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 100.00 |
| 0103- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए0 आई0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 3827.20 |
| 06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें | |
| 0605- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 100.00 |
| 07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| 08- तट बंधों का निर्माण | |
| 0840- तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चिकरण की परियोजनाएं | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1700.00 |
| 0841- सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य सेक्टर) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 5000.00 |
| 09- कटाव निरोधक योजनायें | |
| 0984- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 1200.00 |
| 0985- नदियों के व्यवहार एवं सिल्ट के संबंध में शोध की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 100.00 |
| 0986- परियोजनाओं के वास्तविक समय आधारित प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर) | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | 790.58 |

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| 0987- नदी एवं जल संबंधित आंकड़ों का वास्तविक संकलन, प्रेषण एवं आंकलन की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 100.00 |
| 10- तटबंधों का निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएं व अन्य (राज्य सेक्टर) | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 100.00 |
| 11- अनापेक्षित आपातकालीन योजनायें (राज्य सेक्टर) | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 300.00 |
| 23- नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित) | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 32060.21 |
| 25- सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 1500.00 |
| | योग - | <u>51877.99</u> |
| 03- जल निकास | | |
| 103- सिविल निर्माण कार्य | | |
| 03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर) | | |
| 0305- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर) | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 100.00 |
| 07- जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित) | | |
| 24-वृहत् निर्माण कार्य | | 3328.25 |
| | योग - | <u>3428.25</u> |
| | कुल योग - | <u><u>56806.24</u></u> |
